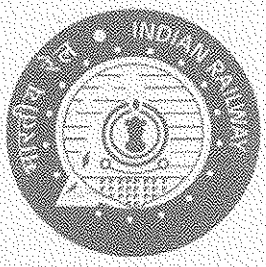

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

की बैठक

27 अप्रैल 2011

होटल चाणक्या पटना

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

के

सदस्यों का

हार्दिक अभिनंदन करता है।

पटना

अप्रैल 27, 2011

पूर्व मध्य रेल
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य
अवधि 16.09.2009 से 15.09.2011तक

क्रम सं0	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह माननीय सांसद , स्थायी पता — ओम नगर , वार्ड नं0 8, जिला —सहरसा , बिहार, वर्तमान पता— 157,साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली—110011	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
2.	श्री भगनी लाल मंडल, माननीय सांसद , स्थायी पता— चौथार्ति सदन , रोड नं0 6, पूर्वी पटेल नगर, पटना, बिहार वर्तमान पता— 16, महादेव रोड, नई दिल्ली—110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
3.	श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय सांसद, स्थायी पता— बी—85, बुद्वा कॉलोनी , पटना बिहार वर्तमान पता— सी—1/15, पंडारा पार्क, नई दिल्ली—110003	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
4.	श्री जगदान्नद सिंह माननीय सांसद , स्थायी पता— ग्राम एवं पोस्ट— सहुका जिला— कैमुर, बिहार वर्तमान पता— बी—702, एम.एस.फ्लैट, बी.के.एस.मार्ग,नई दिल्ली	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित

5.	श्री पकौड़ी लाल माननीय सांसद, स्थायी पता– पोस्ट–पातेहेराकला, कुबरीपातेहेरा जिला– मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश वर्तमान पता– 98, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली 110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
6.	श्री कामेश्वर बैठा माननीय सांसद , स्थायी पता– ग्राम– धनचाबर, पो0 – मुरमा कला, थाना–बिश्रामपुर जिला –पलामू, झारखंड वर्तमान पता– 520, भी.पी. हॉर्स, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
7.	श्री बाबू लाल मंराडी माननीय सांसद, स्थायी पता–ग्राम–कोदई बैंक , पो0– चन्दौरी, थाना – तिसरी, जिला– गिरिडीह, झारखंड वर्तमान पता– 23, बलबंत राय मेहता लेन, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
8.	सुश्री माबेल रेबेलो, माननीया सांसद, स्थायी पता– होली कॉस अस्पताल परिसर, रामपुर पंचायत मे, चैनपुर ब्लॉक,जिला– गुमला, झारखंड वर्तमान पता– 701, ब्रहमपुत्रा, डॉ विश्मबर दास मार्ग, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित

9.	श्री गंगा चरन माननीय सांसद मोहल्ला– पथनपुरा, रथ, जिला– हमीरपुर, उत्तर प्रदेश वर्तमान पता– 21, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
10.	श्री डॉ सी.पी. ठाकुर माननीय सांसद सी. काम्पलेक्स, फ्रजर रोड, पटना , बिहार वर्तमान पता– 401, ब्रहमपुत्रा, डॉ बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली–110001	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मनोनित
11.	श्री नित्यानन्द राय 13, छज्जूबाग पटना दूरभाष – 0612–2227305, मो0– 9431817020	माननीय विधायक	बिहार सरकार द्वारा मनोनित
12.	श्री जय किशोर दत 301ए, चतुरंग एपार्टमेन्ट, ए.एन.पथ, नार्थ एस. के. पुरी बोरिंग रोड, पटना मो0– 9470001266, 9934067846	राज्य सरकार के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
13.	डा0 अनुप कुमार केडिया बसेरा, 101–ए गोसाईबाग, टेकारी रोड, गया मो0 – 9430056396	चेम्बर ऑफ कॉमर्स	सेन्ट्रल बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गया एनआरयूसीसी हेतु निर्वाचित
14.	श्री सुबोध कुमार जैन मे. एशियन ट्रेडर्स , राजेन्द्र पथ, पटना दूरभाष – 0612–2221391, 2320195 मो0– 9334110115	चेम्बर ऑफ कॉमर्स	बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स पटना

15.	श्री बैधनाथ सिंह 115–बी, शान्ति भवन सेन्टर, बैंक मोड़, धनबाद दूरभाष – 0326–2303020 मो0 – 9431121849	इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स	इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स एशोशिएसन, धनबाद
16.	श्री देवी लाल छोटी सरैयागंज, मुजपफरपुर दूरभाष – 0621–2247000 मो0– 9430474700	ट्रेड एशोशिएसन	जेनरल मर्चेन्ट एशोशिएसन, मुजपफरपुर
17.	श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम– चैधाबन्नी, पो. बाबूबगीचा भाया– मानसी,जिला खगड़िया मो0– 9709325196	राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
18.	श्री कमलेश्वरी मेहता, ग्राम–किशुनगंज रामबाग पो.–उदाकिशुनगंज जिला–मधेपुरा मो0– 9006792624	राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि	बिहार सरकार
19.	श्री दुर्गेश कुमार राय द्वारा– श्री मिथलेश कुमार उर्फ भीम सिंह ग्राम –पो0 –मेयारी जिला – समस्तीपुर मो0– 9431425177	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	सोनपुर
20.	श्री गुल्लू अंसारी ग्राम एंव पो. धोरियो मोहबनी थाना– गोबिंदपुर, जिला– धनबाद मो0– 9835158099	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	धनबाद
21.	श्री विधासागर गायधाट दक्षिणी गली, उषा कुंज गुलजारबाग, पटना मो0– 9308635760	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	दानापुर
22.	श्री विनोद गुप्ता स्व0 शिव शंकर प्रसाद वार्ड नं. 19, गोला रोड, पी ओ एंव जिला– समस्तीपुर मो0– 9471042677	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	समस्तीपुर

23.	श्री डॉ.कौशलेन्द्र प्रताप, राठौर भवन, नार्थ मैकलियोड गंज, स्वराज़पुरी रोड, गया बिहार, 823001 मो0– 09835269891	डी.आर.यू.सी.सी. के प्रतिनिधि	मुगलसराय
24.	श्री बिनय कुमार डी–4,एन.एच.–4,एन.टी.पी.सी.,पो. रिहन्दनगर, जिला–सोनभद्र मध्य प्रदेश दूरभाष – 05446–242894 मो0– 9415122176	पब्लिक सेक्टर	एन.टी.पी.सी./रिहन्द
25.	श्री रंजन कुमार साहा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेन्ट्ल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रॉची दूरभाष – 0651–2360001 मो0– 9431170652	पब्लिक सेक्टर	सी.सी.एल./रॉची
26.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन साकेत जी.बी.रोड, गया दूरभाष – 0631–2222777, 2222333 मो0 – 9431224555	रजिस्टर्ड पैंसेन्जर एशोशिएसन	ग्रेन्ड कार्ड पैंसेन्जर एशोशिएसन, गया
27.	श्री गोबिन्द प्रसाद केजरीवाल केजरीवाल एंड कम्पनी सुतापटटी, मुजपफरपुर दूरभाष – 0621–2243151 मो0 – 9431238678	रजिस्टर्ड पैंसेन्जर एशोशिएसन	नॉर्थ बिहार ट्रेवेलर् एशोशिएसन, मुजपफरपुर
28.	श्री योगेन्द्र प्र. सिंह पो. भगवानपुर,जि. वैशाली मो – 09304620729	रजिस्टर्ड पैंसेन्जर एशोशिएसन	दैनिक यात्री संघ, भगवानपुर वैशाली
29.	श्री रोहन लाल मेहता रोहित चित मन्दिर, थाना चौक,डेहरी ऑन सोन, रोहतास दूरभाष – 06184–250722 मो0– 9431465812	केन्द्रिय मंत्री द्वारा मनोनीत	श्रीमती मीरा कुमार, माननीय लोक सभा अध्यक्षा

30.	श्री कुमुद वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, टाईम्स ऑफ इन्डिया, पटना दूरभाष – 0612–2252584 मो0 – 9835052496	महाप्रबंधक के विशेष रुचि	महाप्रबंधक के विशेष रुचि
31.	मो0 कादिर हुसैन हाजी–लॉज, ग्राम–पोस्ट श्रीरामपुर, तोप चॉची, जिला धनबाद दूरभाष – मो0– 9973848530, 9973848532	रेल मंत्री का विशेष रूचि	रेल मंत्री का विशेष रूचि
32.	श्री पं. राजेश शुक्ला टिल्लू हीरानन्द साह लेन चौक,पटना सिटी पटना दूरभाष – 0612–2642111 मो0 – 9431014654	रेल मंत्री का विशेष रूचि	रेल मंत्री का विशेष रूचि
33.	श्री मनीष कुमार प्रेम निवास, सुभाषनगर गली नं.–7 पो. डालमीयानगर, था.– डिहरी जिला– रोहतास मो0– 9334950704	रेल मंत्री का विशेष रूचि	रेल मंत्री का विशेष रूचि
34.	श्री अभिषेक गुप्ता मुहल्ला–बनियॉपटटी, पो–मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण मो0– 9934002265	रेल मंत्री का विशेष रूचि.	रेल मंत्री का विशेष रूचि
35.	श्री बिक्रम पाण्डेय मेन रोड, फुसरो पो– फुसरो बाजार जिला–बोकारो मो0– 09431128604	रेल मंत्री का विशेष रूचि	रेल मंत्री का विशेष रूचि
36.	श्री आर0यू0सिंह 1, आई.ए.एस कालोनी, किदवईपुरी,पटना मो0– 9431021508	रेल मंत्री का विशेष रूचि	रेल मंत्री का विशेष रूचि

पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

श्री के. के. श्रीवास्तव – महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / जेड.आर.यू.सी.सी.

श्री ए. के. झा – उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव / जेड.आर.यू.सी.सी.

मुख्यालय

क्रम सं0	नाम	पद
1.	श्री आर. के. सिंह	अपर महाप्रबंधक
2.	श्री आर.एस.पाण्डेय	मुख्य परिचालन प्रबंधक
3.	श्री जी. एस. तिवारी	मु.प्र.अधिकारी / निर्माण / द0
4.	श्री मनोज कुमार	प्रमुख मुख्य इंजीनियर
5.	श्री दीपक छावड़ा	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
6.	श्री राजा राम	मुख्य सुरक्षा आयुक्त
7.	श्री के. पी. राव	मुख्य यॉंत्रिक इंजीनियर
8.	श्री बी. राय	वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
9.	श्री आर. सिंह	भंडार नियंत्रक
10.	श्री एच0 के0 अग्रवाल	मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर
11.	श्री बी.पी.गुप्ता	वरीय उप महाप्रबंधक
12.	श्री जे. एस. पी. सिंह	मुख्य कार्मिक अधिकारी
13.	डा0 बी. सवाइँ	मुख्य चिकित्सा निदेशक
14.	श्री ओम प्रकाश	महाप्रबंधक के सचिव
15.	श्री दिलिप कुमार	मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

मंडल

17.	श्री आर. एल. गुप्ता	मंडल रेल प्रबंधक / सोनपुर
18.	श्री सत्य प्रकाश त्रिवेदी	मंडल रेल प्रबंधक / समस्तीपुर
19.	श्री एल.एम.झा	मंडल रेल प्रबंधक / दानापुर
20.	श्री ए. एस. उपाध्याय	मंडल रेल प्रबंधक / धनबाद
21.	श्री डी. के. गायेन	मंडल रेल प्रबंधक / मुगलसराय

पूर्व मध्य रेल एक परिचय

जिला – वैशाली, हाजीपुर – 844101
(बिहार)

भारतीय रेल के नवसृजित क्षेत्रीय रेलों में से एक पूर्व मध्य रेल की स्थापना 01 अक्टूबर, 2002 को हुई। इसके अंतर्गत 05 मंडल आते हैं यथा– सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद। यह मुख्यतया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैली हुई है।

वर्ष 2010–11 में परिसम्पत्ति, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन

योजना परिव्यय (करोड़ में)

	2009–10	2010–11
नई लाइन (निर्माण)	321.42	419
खराब लाइनों का पुनर्निमाण	5.00	40
आमान परिवर्तन	110.10	52
दोहरीकरण	85.58	119.80
रेल पथ सुविधा – यार्ड पुर्ननिर्माण एवं अन्य	69.99	89.15
कंप्यूटरीकरण	10.70	10.44
चल स्टॉक	14.33	8.60
सड़क संरक्षा	....	72.82
रेल पथ नवीकरण	...	320.00
सिगनलिंग एवं दूरसंचार कार्य	60.58	62.49
अन्य विद्युतीय कार्य	13.9	14.50
मशीन एवं संयंत्र	8.87	6.00
उत्पादन इकाई सहित कारखाना	847.81	443.03
यात्री सुविधाएँ	37.63	102.34
अन्य वर्गीकृत कार्य	....	12.34
कुल	1585.92	1772.91

वर्ष 2010–11 के लिए योजनाएँ

रेल ने वर्ष 2010–11 में पूर्व मध्य रेल को कैपिटल निवेश के लिए रू. 1772.91 करोड़ आवंटित किया था। प्रमुख निवेश शीर्षों में रू. 590.8 करोड़ की लागत से नई लाईनों का निर्माण, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण कार्य शामिल है जो कुल योजना निवेश का लगभग 33.32 % है। रेल पथ नवीकरण को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए इस शीर्ष में रू. 320.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्पादन इकाई सहित कारखाना संबंधी कार्य तथा सिगनल एवं दूरसंचार को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है तथा क्रमशः रू. 443.03 करोड़ एवं रू. 62. 49 करोड़ का आवंटन किया गया था।

रूट किलोमीटर एवं विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	कुल ट्रैक किलोमीटर
बी.जी. एवं एम.जी.	3556.778	5136.236	7644.605
विद्युतीकरण	1407.827	3758.3447	

सामग्री वार माल–भाड़ा लक्ष्य

सामग्री	2010–2011 (आँकड़े मिलियन टन में)
कोयला	78.00
पी. ओ. एल.	01.35
आरएमएसपी	0.42
सीमेन्ट	00.90
बॉक्साइट	01.24
अन्य	02.89
कुल	85.00

2010–11 मे कुल 88.14 मिलियन टन रेकार्ड माल लदान किया गया जो कि लक्ष्य से 3.14 मिलियन टन ज्यादा है।

मंडल

दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर

कारखाना

- समस्तीपुर कारखाना/समस्तीपुर
- इंजीनियरिंग एवं पुल कारखाना/मुगलसराय
- फ्लश बट वेल्डिंग प्लांट/मुगलसराय
- ट्रैक मशीन शॉप/मुगलसराय

मंडल

दानापुर मंडल

दानापुर, बिहार

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात 1925 ई. में दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झाझा और मुगलसराय के बीच मेन लाईन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात किऊल–गया और पटना–गया लाईन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

सेवित क्षेत्र

दानापुर मंडल द्वारा बिहार के 11 जिले और उत्तर प्रदेश के 03 जिले सेवित हैं। इसका विस्तार मुगलसराय से (मुगलसराय स्टेशन छोड़कर) झाझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बख्यिारपुर से राजगीर, हाथीदा से बरौनी (बरौनी स्टेशन छोड़कर), किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
780.491	1569.087	485	1271.27

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	74
हॉल्ट स्टेशन	:	117
फ्लैग स्टेशन	:	14

सेवित उद्योग

भारत वैगन (मोकामा) और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं।

गुड्स शेड

फतुहा, जमुई, किऊल, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर और शेखपुरा।

धनबाद मंडल

धनबाद, झारखंड

सेवित क्षेत्र :

झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, राँची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में नवादा और गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिंधी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

		विद्युतीकरण	
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
866.840	2384.73	598.00	1526.00

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	07
ब्लॉक स्टेशन	:	88
हॉल्ट स्टेशन	:	28

सेवित उद्योग

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल एवं एन.सी.एल. के कोल फिल्ड, टिस्को का वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस, ए.टी.पी.एस., ओ.टी.पी.एस, एस.एस.टी.पी.पी., वी.एस.टी.पी.पी. और आर.एच.एस.टी.पी.पी. के पावर हाउस, सिन्दरी स्थित ए. सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, रेणुकूट स्थित हिंडालकों, रेणूकूट स्थित कानोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिड़ला केमिकल,पी.डी.एल.एफ. का डाला, पी.सी.डब्लू. पाथरडिह,डी.सी.डब्लू. दुगधा,खेलाड़ी सिमेन्ट फैक्ट्री।

गुड्स शेड

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, राँची रोड, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, रिचुगुटा, सिंगरौली, बिल्ली, महदीया, पतरातु एंव भुड़कुण्डा।

मुगलसराय मंडल

मुगलसराय – 232101
उत्तर प्रदेश

मानपुर–मुगलसराय सेक्शन इस महाद्वीप का व्यवस्तम माल परिवहन करने वाला ग्रैंड कॉर्ड के नाम से विख्यात रेल मार्ग का एक भाग है। मुगलसराय–हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल सेतु है। 1878 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

सेवित क्षेत्र :

बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
415.045	856.315	308.3	748

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	05
ब्लॉक स्टेशन	:	43
हॉल्ट स्टेशन	:	29

सेवित उद्योग

यह मंडल डेहरी–ऑन–सोन स्थित कल्याणपुर सीमेंट तथा पायराइट्स एण्ड फासफेट लिमिटेड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

गया, मानपुर, अनुग्रहनारायणरोड, सोननगर, नबीनगर, रफीगंज, डेहरी–ऑन–सोन, सासाराम, भभुआ रोड, मुगलसराय माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

समस्तीपुर मंडल

समस्तीपुर –848101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णियां, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

गेज	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
बी.जी.	600.46	600.46
एम.जी.	466.96	466.96

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	98
हॉल्ट स्टेशन	:	67
फ्लैग स्टेशन	:	18

सेवित उद्योग

यह मंडल मुक्तापुर जूट मिल, हरिनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल एंव हसनपुर चीनी मिल को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

लहेरियासराय, दरभंगा, सीतामढी, रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, चकिया, सहरसा, कॉटी, थलवारा, खजौली, हरिनगर, नरकटियागंज एंव हसनपुर ।

सोनपुर मंडल

सोनपुर – 841101
बिहार

सेवित क्षेत्र :

बिहार का छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

विद्युतीकरण			
रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर	रूट किलोमीटर	ट्रैक किलोमीटर
469.683	992.465	214	312

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	06
ब्लॉक स्टेशन	:	54
हॉल्ट स्टेशन	:	24
फ्लैग स्टेशन	:	05

सेवित उद्योग

यह मंडल मुजफ्फरपुर के निकट कांटी विजली उत्पादन निगम लि0, बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरी लिमिटेड, एफ.सी.आई.साईडिंग एंव वी.पी.सी.एल. साईडिंग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

सोनपुर, सराय, नारायणपुर अनंत, बरौनी, खगड़िया, कपूरी ग्राम, बेगुसराय, नवगछिया, मानसी, कुर्सेला एंव सेमापुर।

यात्री सुविधाओं एवं परिचालन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पूर्व मध्य रेल पर 121 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 316 स्टेशनों पर यू.टी.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 45 स्टेशनों पर यू.टी.एस. सह पी.आर.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 2009–10 में प्रतिदिन लगभग 240 माल गाड़ियाँ चली थी और 2010–11 में करीब 260 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन चली हैं।
- पूर्व मध्य रेल में माल लदान भारतीय रेल के कुल माल लदान का 9.56 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान 5वाँ है।
- पूर्व मध्य रेल पर कोयले का लदान भारतीय रेल पर कोयले के लदान का 19.06 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान दूसरा है।
- पूर्व मध्य रेल ने 2010–11 मे 88.14 मिलियन टन माल लदान किया जो एक रेकार्ड है।

यात्री भीड़–भाड़ का निपटान

अतिरिक्त कोच

पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणियों में 2010–2011 में कुल 2064 अतिरिक्त कोच लगाये गये।

अतिरिक्त सीटें/बर्थ

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़–भाड़ का निपटान करने हेतु 2010–2011 में लगभग 1,53,942 अतिरिक्त सीटें/बर्थ की व्यवस्था की गई।

विशेष रेलगाड़ियाँ

पूर्व मध्य रेल द्वारा ग्रीष्मकाल एवं त्यौहारों के अवसर पर 2010–11 में 38 ग्रीष्मकालिन विशेष रेलगाड़ियों एवं 15 पूजा विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा क्रमशः 416 तथा 206 फेरे लगाये गये।

सवारी गाड़ी के परिचालन की महत्तवपूर्ण विशेषताएं

	विवरण	पूर्व मध्य रेल की स्थापना से
1.	नई गाड़ियों का आरंभ	136 जोड़ी
2.	गाड़ी सेवाओं का विस्तार	73 जोड़ी
3.	गाड़ियों के फेरों में वृद्धि	26 जोड़ी
4.	विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव	572 जोड़ी
5.	नये हाल्ट	99

यात्री विवरण

	2010–11
प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या	6.78 लाख
उपनगरीय	शून्य
गैर–उपनगरीय	6.78 लाख
यात्रियों की कुल संख्या	24.74 करोड़
उपनगरीय	शून्य
गैर–उपनगरीय	24.74 करोड

यात्री आय

		अन्तर (रू. करोड़ में)
2008–09	1132.55	101.52 (9.84 %)
2009–10	1236.01	103.46 (9.14 %)
2010–11	1329.81	93.80 (7.59 %)

माल–भाड़ा आय

		अन्तर (रू. करोड़ में)
2008–09	4278.24	437.68 (11.40 %)
2009–19	4777.82	499.58 (11.68 %)
2010–11	5543.64	665.82 (13.94 %)

सकल आय

		अन्तर (रू. करोड़ में)
2008–09	5493.94	545.61 (11.02 %)
2009–10	6109.88	619.94 (11.21 %)
2010–11	6886.21	776.33 (12.71 %)

यात्री वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

शीर्ष	वार्षिक		
	2008–09	2009–10	2010–11
यात्रियों की कुल संख्या	23.22	24.93	24.74
गत वर्ष से अन्तर(%में)	12.11 %	7.36 %	– 0.76 %

यात्री सुविधाओं पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय
2008–09	23.29 करोड़
2009–10	33.17 करोड़
2010–11	36.35

माल–भाड़ा तुलनात्मक लदान

(मिलियन टन में)

शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11
कोयला	70.02	72.54	80.09
अन्य सामग्री	6.68	6.62	8.05
कुल	76.70	79.16	88.14
गत वर्ष से हुई वृद्धि	3.81 %	3.20 %	11.33 %

सफाई

यह पूर्व मध्य रेल का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर अपर महाप्रबंधक एवं मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की जाती है।

- स्टेशनों पर सफाई के स्तर को बढाने के लिए 'ए–1' श्रेणी के 03, 'ए' श्रेणी के 22, 'बी' श्रेणी के 29, 'डी' श्रेणी के 22 एंव 'ई' श्रेणी के 09 स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेवारी निज़ी एजेंसियों को दी गयी है।

- पूर्व मध्य रेल पर सफाई कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सफाई निरीक्षक के 31 पदो के अतिरिक्त 40 नये पद स्वीकृत किये गये है। साथ ही सफाई पर्यवेक्षक के पूर्व के 16 पदो के अतिरिक्त 17 नये पदो की स्वीकृति की प्रकिया चल रही है।

- क्लीन ट्रेन सर्विस योजना के अंतर्गत बरौनी एंव मुगलसराय स्टेशनों से गुजरने वाली क्रमशः 22 एंव 61 ट्रेनों के दरवाजे एंव शौचालयों के अतिरिक्त वातानुकूल कोचों की खिड़कियो के शीशे की सफाई की जाती है।
- पूर्व मध्य रेल की 21 जोड़ी ट्रेनों मे ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग योजना के अंतर्गत सफाई कार्य का ठेका निजी एजेंसियों को प्रदान किया गया है।

- पूर्व मध्य रेल के 55 स्टेशनों पर पे एण्ड यूज शौचालयों की व्यवस्था की गयी है जिनमे 03 स्टेशनों (गया,हाजीपुर एंव मुजफ्फरपुर) पर पे एण्ड यूज शौचालयों के अतिरिक्त डिलक्स शौचालयों की भी व्यवस्था की गयी है।

- कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए रेल उपयोगकर्ताओं से और सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।

- 11 स्टेशनों के प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, शौचालय, वाशेवल एप्रॉन आदि की सफाई के लिए मेकानाइज्ड क्लीनिंग का ठेका निजी एजेंसियों को प्रदान किया गया है।

- 75 स्टेशनों पर रैग पिकिंग कॉन्ट्रेक्ट के तहत ठेका निजी एजेंसियों को दिया गया है।

न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेल में स्थित 681 स्टेशनों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- 'ए–1' एवं 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।
- 'बी' श्रेणी के स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है।

24–कोच की लम्बाई वाले प्लेटफार्म

- लम्बी गाड़ियो को चलाने के लिए पूर्व मध्य रेल के कुल 66 स्टेशनो को विस्तारित कर 24 कोच क्षमता का बना दिया गया है।

दिनांक 21.12.10 को पूर्व मध्य रेल में आयोजित जेडआरयूसीसी की बैठक के कार्यवृत पर विभागीय टिप्पणी।

1-0	श्री मनोज कुमार सिंह	
1-1	चौधाबन्नी हाल्ट के अप प्लेटफार्म पर पी0सी0सी0 किया गया है लेकिन वह उखड़ गया है जिसके कारण लोगों के पैर घायल हो जाते हैं और इस प्लेटफार्म पर बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है ।	सार्वजनिक तौर पर रफ उपयोग करने के कारण प्लेटफॉर्म सर्फेस टूट गया है इसे दुबारा ठीक कराने हेतु प्रबंध किया जा रहा है । दुर्घटना होने की सम्भावना नहीं है। यात्रियों के बैठनें के लिए स्टेशन भवन में पर्याप्त संख्या में सीट की व्यवस्था है।
1-2	महेशपुर स्टेशन पर रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाए एवं एक जेनरेटर की व्यवस्था की जाए ।	महेशपुर स्टेशन पर बीएसईबी पावर उपलब्ध है। इस स्टेशन पर केवल एक ही ट्रेन का परिचालन है जो प्रायः अन्धेरा होने से पहले गुजर जाती है। रात्रि में प्रकाश हेतु सोलर लाईट का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त गाड़ी के आगमन के समय जेनरेटर से भी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है।
2-0	श्री गुल्लू अंसारी	
2-1	धनबाद से दिल्ली जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है इसलिए मेरा सुझाव है कि महाबोधी एक्सप्रेस जो गया से नई दिल्ली के लिए जाती है उसको धनबाद से एक्सटेंशन दिया जाए ।	महाबोधी एक्सप्रेस में सिर्फ मात्र 8 घंटा 40 मिनट लाई ओभर है, अतः इसका मार्ग विस्तार करना संभव नहीं है।
2-2	कालका एक्सप्रेस और सियालदह से जम्मू एक्सप्रेस में सिर्फ एक तृतीय श्रेणी (ए0सी0) का आपातकालीन कोटा है इसको बढ़ाया जाए ।	ट्रेन संख्या 12311 कालका मेल एवं ट्रेन संख्या 13151 कोलकाता–जम्मूतवी पूर्व रेलवे, कोलकाता के स्वामित्व की ट्रेनें हैं और इन ट्रेनों के कोटा में वृद्वि का अधिकार पू.म.रे. को नहीं है।
2-3	धनबाद स्टेशन के आस–पास स्थित सभी स्टेशनों/हाल्टों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए ।	रेलवे बोर्ड के नीति अनुसार सभी स्टेशनों एवं हॉल्टों पर पेयजल की व्यवस्था है। कई जगह पर जैसे लालबाग, दिलवा, नाथगंज एवं बॅसकटवा में पत्थर होने के कारण चापाकल नहीं है। उन स्टेशनों पर टैंक में पानी भर कर ट्रेन द्वारा प्रतिदिन भेजा जाता है एवं स्टेशन के श्रेणी के मापदंड के अनुसार शेड उपलब्ध है।
2-4	ऐसे यात्री जो सामान्य श्रेणी की बोगियों में सफर करते हैं उसके खिलाफ स्टेशनों पर कार्यरत वेंडरों/हॉकरों द्वारा साजिश के तहत जब कोई ट्रेन रूकती है तो स्टेशन पर स्थित सभी नलों को बंद करवा देते हैं ताकि वे लोग नल से पानी नहीं भर सकें और मजबूरन वेंडरों से सील पानी के बोतल खरीद सकें । इस पर ध्यान दिया जाए एवं वेंडरों/हॉकरों पर निगरानी रखी जाए ।	इस तरह का कोई परिवाद अबतक प्राप्त नही हुआ है। स्टेशनों पर यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में पेय जल मिल रहा है । विशेषतया गाड़ी आगमन के समय प्लेटफार्म के नल में पानी की आपूर्ति को जारी रखा जाता है फिर भी भविष्य में इस पर विशेष ध्यान रखा जायेगा। धनबाद स्टेशन पर औचक निरीक्षण की जाती है विशेष कर जब मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर ट्रेनें स्टेशन पर रुकती है।
2-5	गोविन्दपुर से एक रोड जाती है सिन्दरी जिसमें मेन लाईन हावड़ा से दिल्ली है	वर्ष 10–11 के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृत है। यह कार्य निर्माण विभाग द्वारा कराया

	जब गाड़ी चलती है तो रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता है इसके कारण बहुत से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । डिलीवरी एवं सिरियस पेसेंट को भी रूकना पड़ता है । इसलिए वहाँ पर फ्लाई ओभर ब्रिज बनाया जाए ।	जायेगा।
2-6	पारसनाथ एक्सप्रेस जो आसनसोल से अहमदाबाद साप्ताहिक चलती है उसे सप्ताह में 03 (तीन) दिन चलाया जाए ।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है। यह गाड़ी पश्चिम रेलवे के मलिकाना हक में है, इस रेलवे में सप्ताह में तीन दिन चलानें में दिक्कत नहीं है।
2-7	धनबाद–गया इंटरसिटी को पटना तक विस्तारित किया जाए ।	धनबाद–गया इन्टरसीटी के रेक से एक सवारी गाड़ी डेहरी ऑन सोन तक चलती है। अतः इसका विस्तारीकरण संभव नहीं है।
2-8	राँची–पटना जन शताब्दी का ठहराव चन्द्रपुरा में किया जाए ।	इस ट्रेन का ठहराव गोमो स्टेशन में है एवम् चंद्रपुरा से राँची के लिए बहुत सारी ट्रेनें है तथा वाणिज्य औचित्य नहीं है।
2-9	2295/2296 संघमित्रा एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार मुगलसराय से चुनार/चौपन/सिंगरौली कटनी के रास्ते चलाया जाए ।	यह ट्रेन वर्तमान रूट पर शत–प्रतिशत उपयोगिता के साथ चल रही है। अतः इसके मार्ग परिवर्तन का औचित्य नहीं बनता है। इस गाड़ी का मार्ग परिवर्तन करने पर मौजूदा चलने वालों को कठिनाई होगी एवं अन्दोलन होने की संभावना है।
2-10	धनबाद मंडल में एच0 क्यू0 रिजर्वेशन में कुछ गड़बड़ियाँ पायी गयी थी उसे ठीक किया जाए ताकि सही व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल सके ।	आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट किया गया।
3-0	**श्री दुर्गेश कुमार राय**	--
3-1	पिछली बैठक में दलसिंहसराय के पास ओभर ब्रिज की मॉग की गयी थी जिसके संबंध में जवाब प्राप्त हुआ है कि यहाँ का टी0व्ही0यू0 (ज्टन) कम होने के कारण ओभर ब्रिज बनाना संभव नहीं है तो इसके संबंध में मेरी मॉग है कि यहाँ पर पुनः 2011 में फिर से टी0व्ही0यू0 (ज्टन) करवाया जाए ।	सितम्बर 2010 में टीभीयू बढ़कर एक लाख नौ हजार सन्तान्वें हो गई है। ओभर ब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार की सहमति मिलने पर वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित किया जायेगा।
3-2	समस्तीपुर माधुरी चौक के निकट एफ0 ओ0 बी0 का जिर्णोधार करवाया जाए ।	समस्तीपुर स्थित माधुरी चौक के निकट अवस्थित पुराने एफओवी क्षतिग्रस्त है जिसके कारण वर्तमान में आवागमन बंद है। समस्तीपुर–बछवाड़ा खंड में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। उक्त एफओवी समस्तीपुर यार्ड में पड़ता है। जिसका क्लियरेंस विद्युतीकरण के दृष्टिकोण से लगभग 1 मीटर कम है। आर.ई. संगठन के द्वारा उंचाई बढ़ायी जायेगी। तत्पश्चात आवश्यक मरम्मति कर चालू किया जायेगा।

3-3	उजियारपुर में हमने एक बुकिंग क्लर्क की मॉग की थी यदि ऐसा नहीं हो सकता तो वहॉ पर एक यू0टी0एस0 दिया जाए ।	उजियारपुर स्टेशन पर युटीएस की सुविधा करा दी गयी है।
3-4	सोनपुर मंडल में बसरिया हॉल्ट का उद्घाटन हुआ है यहॉ एक गाड़ी का ठहराव है । वहॉ पर कुछ गाड़ियों के ठहराव के बारे में अनुरोध किया था । गाड़ी संख्या 304–305 का ठहराव दिया जाए। इससे वहॉ के लोगों को सुविधा होगी । यह प्रस्ताव सोनपुर मंडल से आया हुआ है । अनुरोध करेंगे कि उसकी स्वीकृति मिल जाए ।	बसढ़िया हाल्ट स्टेशन पर 304/317 के ठहराव हेतु पत्र संख्या सी/442/ठहराव/09 दिनांक 12.07.10 एवं मंरेप्र महोदय की ओर से समसंख्यक पत्र दिनांक 24.09.10 को प्रेषित की गयी है। जनप्रतिनिधियों के मांग पर विचार करते हुए ठहराव हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रस्ताव की जॉच प्रकिया चल रही है।
3-5	हमारा नया सुझाव है कि सहरसा स्टेशन से शाम के 05 बजे और सुबह के 12 बजे के बीच कोई ट्रेन नहीं आती है । इस ओर ध्यान दिया जाए ।	सहरसा में स्टेबलिंग लाईन की कमी है अतः अतिरिक्त गाड़ी का परिचालन संभव नहीं है।
3-6	सहरसा से पटना के लिए रात में एक गाड़ी दी जाए । इससे लोगों को फायदा होगा एवं रेलवे की भी आय होगी ।	बजट में सहरसा –पटना राजधानी एक्सप्रेस की घोषणा हो चुका है।यह गाड़ी पटना के लिए राउंड ट्रीप बीपीसी सहित चलाई जा सकती है।
3-7	जयनगर से पटना के लिए गाड़ी चलाया जाए ।	जयनगर से पटना के लिए गाड़ी चल रही है अतिरिक्त गाड़ी के परिचालन के लिये पथ, स्टोक एवं वाशिंग पिट का अभाव है।
3-8	बापूधाम गरीब रथ को बरौनी तक कर दी जाए ।	इस ट्रेन को मुजफ्फपफरपुर तक विस्तारित करने की घोषणा रेल–बजट में की गयी है । इस ट्रेन की उपयोगिता के अध्ययन के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा ।
3-9	जयनगर से कोलकाता तक एक गरीब रथ चलाया जाए ।	नया गरीब रथ चलाने के लिए पिट, पथ एवं स्टोक की कमी है।
3-10	दानापुर से जयनगर इंटरसिटी की शुरूआत 15 डिब्बे से हुई थी जो आज केवल 07 डब्बे से चल रही है । जिसके कारण इसमें काफी भीड़ रहती है । उसको फिर से 15 डब्बे का किया जाए ।	चूँकि 13226/13225 गाड़ी 13226ए/13225ए के साथ संयुक्त है, अतः इन गाड़ियों के अलग होने पर ही कोचों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
3-11	अवध–आसाम एक्सप्रेस के अलावे गौहाटी के लिए कोई गाड़ी नहीं है । वास्तव में यह गाड़ी दिल्ली–गौहाटी है, इसमें बीच के पैसेन्जर के लिए कोई जगह नहीं है । इसे दरभंगा से लिंक करने के कारण दरभंगा के लोगों को तो इसका लाभ मिला है लेकिन मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सोनपुर के लोगों को भी यह सुविधा मिले ।	गाड़ी सं0 15610/15609, 12235/12236 राजधानी एक्सप्रेस 15651/15652 लोहित एक्सप्रेस एवं 15653/15654 एक्सप्रेस उपलब्ध है।
3-12	सोनपुर से गौहाटी तक एक गाड़ी चलायी जाए ।	सोनपुर में पिट लाईन एवं स्टेबलिंग लाईन का अभाव है।
3-13	छपरा से बम्बई जो गाड़ी चल रही है	छपरा–मुम्बई इस गाड़ी का प्रारम्भिक अनुरक्षण

	उसको बरौनी तक विस्तारित कर दी जाए।	छपरा में किया जाता है। मुजफ्फरपुर तक विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
3-14	हमलोगों को जेडआरयूसीसी के सदस्य के रूप में बैठक में शामिल होने के लिए आने जाने हेतु जो टीए–डीए दी जाती है वह बहुत कम है । भारत सरकार द्वारा जो करीब 10 रू0 का रेट निर्धारित है उसे दिया जाना चाहिए । इसको देखा जाए ।	टीए–डीए का दर पूर्ववत है बढ़ने पर नया दर दिया जाएगा।
3-15	डीएमयू समस्तीपुर मंडल में पहले से दो रेक गयी हुई है फिर उसको वापस कर लिया गया है। इसको अगर चालू करवा दिया जाता तो बड़ी सुविधा होती।	समस्तीपुर मंडल में डीएमयू का कोई रेक नहीं दी गई है। एक रेक जो समस्तीपुर में था वह कमिशनिंग के लिए था।
4-0	श्री विद्यासागर	---
4-1	सहरसा से फारबिसगंज जो बड़ी लाईन बन रही है वह कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ।	कार्य तेजी से चल रहा है, इसका टारगेट तिथि 31–12–2011 है।
4-2	पटना साहिब स्टेशन के निरीक्षण के लिए महाप्रबंधक महोदय गये थे तो हमलोगों को सूचित नहीं किया गया । मेरा अनुरोध है कि महाप्रबंधक महोदय का विजिट हो तो हमलोगों को भी सूचित किया जाए ।	मंडल के जेडआरयूसीसी/डीआरयूसीसी सदस्यों को मंडल के अन्तर्गत आयोजित महाप्रबंधक महोदय के दौरे के संबंध में कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है। इसे नोट किया गया।
4-3	पटना साहिब में मालगोदाम के सामने का रोड बहुत ही खराब/जर्जर है इसे बनवाया जाए ।	रोड मरम्मत हेतु प्राक्कलन बनाया गया है तथा फंड की उपलब्धता होने पर कार्य किया जायेगा।
4-4	सुपौल में एक रिटायरिंग रूम है वह काम नहीं करता है । इसको बनवा दिया जाए । अब यह जिला हो गया है ।	सुपौल में विश्रामालय उपलब्ध है जिसकी उपयोगिता नगण्य है ।
4-5	सकरी स्टेशन में प्लेटफार्म लंबा है और शेड बहुत छोटा है इसलिए शेड बड़ा बनवाया जाना चाहिए ।	शेड के मरम्मति का कार्य कर दिया गया है। पेंटिगं आदि का कार्य वर्तमान जोन के कार्य के अंतगर्त कराया जायेगा।
4-6	सचिवालय हॉल्ट पर यात्री सुविधा का प्रावधान किया जाए । प्लेटफार्मों का सौन्दर्यीकरण, यात्री शेड, बेंच, नल की व्यवस्था के अलावा कतिपय एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव जैसे– दानापुर–राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस(3233–3234), जनता एक्सप्रेस (3239–3240), अपर इंडिया एक्सप्रेस (3133–3134) एवं स्टेशन का दर्जा दिया जाए एवं बुकिंग काउन्टर 24 घंटे खोला जाए ।	सचिवालय हॉल्ट 'एफ' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है जहॉ औसत दैनिक यात्री संख्या करीब 400 है । यहॉ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का औचित्य नहीं बनता है । सचिवालय हॉल्ट के हॉल्ट कॉन्ट्रेक्टर को प्रत्येक ट्रेन के आगमन पर यात्रियों को टिकट काउंटर से टिकट देने का निर्देश दिया गया है । चूँकि 13239/13240 पटना–मथुरा एक्सप्रेस पटना से खुलने वाली/तक आने वाली लम्बी दूरी की गाडी है। अतः सचिवालय में इसके ठहराव का औचित्य नहीं है।
4-7	मंडल के सभी डी.एम.यू., मेमू एवं कन्वेशनल रैक वाली स्थानीय सवारी	यात्री गाडियों के रख रखाव में सुधार किया गया है और उनमें प्रकाश एवं पंखे की व्यवस्था की

	गाड़ियों में पंखा, लाईट, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था शीघ्र की जाए एवं कबाड़ बनी डिब्बों को अविलम्ब बदलने की आवश्यकता है ।	गयी है।नया कोच प्राप्त होने के बाद इन रेकों को बदला जायेगा।
4-8	दानापुर के सभी प्लेटफार्मों में पूरब और पश्चिम की ओर यात्री शेड का निर्माण कराया जाए । बिहटा में मध्य में, सदिसोपुर, फुलवारी शरीफ, गुलजारबाग पश्चिमी छोर अप/डाउन, खुसरूपुर स्टेशन के पूर्वी छोर अप/डाउन, अथमलगोला, बड़हिया के पश्चिम पर अप/डाउन पर यात्री शेड का निर्माण किया जाए ।	वर्णित सभी स्टेशनों पर उनके कटेगरी के आधार पर यात्री शेड उपलब्ध है। फिर भी सुझाव पर विचार किया जाएगा।
4-9	पार नवादा हाल्ट का निर्माण, गया–किउल खण्ड में छतर हाल्ट–नवादा के बीच (58–59) में पार नवादा हाल्ट का निर्माण कराया जाए ।	प्रस्ताव की समीक्षा करायी जा रही है ।
4-10	स्थगित की गयी सवारी गाड़ी (715–716) पटना–किउल गया सवारी गाड़ी को शीघ्र पुनः पूर्व समय के अनुसार चालू किया जाए ।	यह संभव नहीं है और इसका क्युल–पटना से लिंक दे कर इस गाड़ी को क्युल–गया के बीच चलायी जा रही है। गाड़ियों की संख्या में तीव्र वृद्वि के कारण पटना, किउल एवं गया में गाड़ी इंजन के बदलाव का औचित्य नहीं है । इस रेलखंड में गाड़ियॉ पर्याप्त मात्राा में हैं । अतः इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है।
4-11	पटना–मोकामा (506–505) और पटना–किउल (501–502) पूर्व की भांति डेमू के स्थान पर कन्वेंश्नल रैक डीजल से चलायी जाए चूँकि 78 कि0मी0 की दूरी तय करने में चार घंटे लगते हैं । पूर्व समय के अनुसार यह गाड़ी मोर में संट होती थी, अभी इसे बख्तियारपुर में संट किया जाता है जिसके फलस्वरूप अथमलगोला, बाढ़, पंडारक एवं मोर के यात्रियों को नाहक रोका जाता है । डेमू में आठ या नौ डिब्बे के कारण भीड़ अधिक होती है । संभव हो तो मेमू सवारी गाड़ी चलायी जाए ।	मेमू रेक मिलने पर प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
4-12	पटना–हार्डिंग पार्क में (स्टैंड वाली जमीन) को बिहार सरकार से रेल प्रबंधन ने लोकल सवारी गाड़ी के रख–रखाव के लिए मांग की थी, इस संबंध में क्या प्रगति हुई इसकी जानकारी दी जाए ।	इस पर अभी उचित कार्यवाई राज्य सरकार से प्रतिक्षित है।
4-13	दानापुर मंडल की सभी लोकल सवारी गाड़ी का रनिंग टाईम का का पुनः अवलोकन किया जाए । मेमू सवारी गाड़ी के लिए धनबाद मंडल के मेमू सवारी के आधार पर साधारण स्टेशनों	दानापुर मंडल एवं धनबाद मंडल के मेमू सवारी गाड़ी का रनिंग समय एक ही समय दिया गया है। समयपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

	एवं हॉल्टों के लिए दिया गया समयपालन निर्धारित किया जाए ।	
4-14	एक अतिरिक्त शटल आरा जंक्शन से सुबह में 07.00 बजे खुले और पटना में 560 डाउन से पहले पहुँचे उसी के बाद से अप में 559 अप से पहले पटना जंक्शन से 17.25 बजे से प्रस्थान करे और आरा जंक्शन 07.00 बजे पहुँच जाए । साथ ही 559–560 में पानी, पंखा एवं शौचालय की भी व्यवस्था की जाए क्योंकि यह गाड़ी 182 कि0मी0 चलती है जिससे महिलाओं, बुजुर्गो एवं अन्य यात्रियों को शौचालय के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।	आरा से पटना के लिए 7:00 बजे किसी अतिरिक्त गाडी के परिचालन हेतु पथ उपलब्ध नहीं है। आरा में डाउन गाडियों का समय निम्नानुसार है:– 12392 : 6.00 – 6.02, 12388: 6.15–6.17 ,12304: 6.50–6.52, 560 :7.23–7.25 । इसी प्रकार अप दिशा में पटना से 17.25 बजे पथ उपलब्ध नहीं है। पटना से अप गाडियों का समय निम्नानुसार है:– 12376:17.00–17.10 13233:17.32–17.42, 12393: 17.50–18.00, 12401–1745–18.10,14003 / 11105:18.10–18.20: 559:17.22–18.30 ।
4-15	दानापुर स्टेशन के दक्षिण की ओर टिकट काउंटर सह पूछताछ कार्यालय खोलने की मांग कई दशकों से की जा रही है लेकिन अभी तक इसकी सुविधा नहीं दी गयी है । ज्ञात हो कि स्थान सर्वेक्षण के लिए आपके विभाग द्वारा वरीय मंडल अभियंता को 24.08.2005 को प्रस्ताव भेजा जा चुका है लेकिन आजतक स्थान का सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ जबकि दूसरे विभागीय कार्यों के लिए दक्षिण की तरफ शीघ्र स्थान उपलब्ध कराकर कार्यालय खोला जा रहा है । मालूम होना चाहिए कि रेल के आय का स्त्रोत यात्रियों से है अगर यह सूविधा नहीं दी जाती है तो इसके साथ बड़ा नाइंसाफी है । इसलिए शीघ्र ही दक्षिण तरफ टिकट काउंटर सह पूछताछ कार्यालय की सुविधा प्रदान की जाए ।	इसके संबंध में कार्यवाई की जा रही है, यह प्रस्ताव विचाराधीन है।
4-16	दानापुर स्टेशन के पूरब की तरफ रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर रेल ओभर ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए क्योंकि यह कार्य रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है ।	रेल ओभर ब्रिज निर्माण का कार्य निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। नक्शा बन गया है। अनुमोदन की प्रकिया चल रही है।
4-17	दानापुर स्टेशन पर स्थित चारों बुकिंग काउन्टर को कार्यरत अवस्था में रखा जाए एवं एक काउन्टर वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं के लिए खोला जाए ।	दानापुर स्टेशन पर चार काउंटर कार्यरत है जिसमें कभी–कभी कर्मचारी की कमी के कारण 01 काउंटर बंद करना पड़ता है । इन काउंटरों में 01 को वरीय नागरिक एवं महिलाओं के लिए वर्णांकित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अभी चार काउन्टर कार्यरत है इसकी जॉच कर कार्यवाई की जाएगी।
4-18	दानापुर में बीच वाली लकड़ी के पुल रेल बजट 2006–07 में चौड़ीकरण का	नये एफओवी के कार्य के लिए टेन्डर एवार्ड हो चुका है। अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ होगा।

	कार्य पास होते हुए भी अभी तक काम नहीं शुरू किया गया है इसे शीघ्र किया जाए।	
4-19	वैद्यनाथ धाम से आरा एवं वाराणसी, पटना के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियॉ चलायी जाए ।	पटना जं. से जसीडीह के बीच कई ट्रेने प्रतिदिन चलती है । वाराणसी–पटना के बीच भी ट्रेन चलती है । वाराणसी से पटना आने के इच्छुक यात्री मुगलसराय से भी पटना के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं ।यह प्रस्ताव पूर्व रेलवे एवं उत्तर रेलवे के मध्य चलाने का प्रस्ताव है।
4-20	वाराणसी–पटना के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियॉ चलायी जाए।	वाराणसी एवं पटना के बीच बहुत सही गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है।
4-21	वर्ष 2009–2010 में पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित यात्री सुविधाओं का विवरण दिया जाए ।	विवरण उपलब्ध है। इसे बुकलेट मे देखा जा सकता है।
4-22	2365–2366 (पटना–रॉची जनशताब्दी एक्सप्रेस) को राजेन्द्रनगर टर्मिनल से खोला जाए ।	12023/12024 जनशताब्दी एक्सप्रेस का रेक 12365/12366 से जुड़ा है । अतः इसे राजेन्द्रनगर टर्मिनल से परिचालन करना संभव नहीं है ।
4-23	551–552 (इस्लामपुर–पटना) डेमू सवारी गाड़ी प्रायः दानापुर तेल के लिए आती है । इसका दानापुर विस्तार किया जाए ।	दानापुर में प्लेटफॉर्म लाईन टर्मिनेटिंग/आरिजिनेटिंग गाड़ियों से आकुपाईड रहता है, अतः दानापुर तक इसका विस्तार संभव नहीं है ।यह गाड़ी मध्य रात्री में सिर्फ तेल लेने के लिए आती है। सवारी के रूप में चलाने पर यह निर्धारित ट्रेन को पिकप नहीं करेगा।
4-24	2023–24 जनशताब्दी एक्सप्रेस को पटना जंक्शन के स्थान पर दानापुर स्टेशन से खोली जाए ।	12023/12024 जनशताब्दी एक्सप्रेस का रेक 12365/12366 से जुड़ा है । अतः दानापुर तक इसका विस्तार संभव नहीं है ।इस का लाई ओभर बहुत ही कम है।
4-25	5713–14 कटिहार पटना इंटरसिटी को दानापुर तक विस्तारित किया जाए ।	इसका लाई ओभर बहुत ही कम है। 15713/15714 का पटना में लाई ओभर अवधि 12.45 से 14.15 तक अर्थात 90 मीनट मात्र के लिए है, अतः यदि इसे दानापुर तक विस्तारित किया जाता है तो इसमें विलम्ब होगा और यह दानापुर से सही समय पर नही खुलेगी।
4-26	मालसलामी स्टेशन पर प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर शेड, पानी एवं प्रकाश की व्यवस्था की जाए।	इस स्टेशन पर एक रेल लेवल प्लेटफार्म है तथा एक चापाकल है एवं प्लेटफार्म पर छायादार पेड़ भी स्थित है । मालसलामी स्टेशन पर बीएसईबी पावर सप्लाई उपलब्ध है। इस स्टेशन पर केवल एक ही ट्रेन का परिचालन है जो प्रायः अन्धेरा होने से पहले गुजर जाती है। प्लेटफार्म पर 4 जगह लाईट लगी हुई है।
4-27	सदिसोपुर स्टेशन पर उद्घोषणा प्रणाली को शीघ्र ठीक करवाया जाए तथा रूके हुए प्लेटफार्म के विस्तार कार्य को शीघ्र	सदिशोपुर में सबसे लंबी ट्रेन के आधार पर प्लेटफार्म उपलब्ध है विस्तार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी विचारकिया जा रहा है।

	पूरा किया जाए ।	मैनुअल जन उद्घोषणा प्रणाली सुचारू रूप से कार्यरत है।माइक्रो कंट्रोलर आधरित डिस्कलेश उद्घोषणा प्रणाली को बदलने का कार्य मंरेप्र एलएसजी 2010 के अधीन स्वीकृत है और यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध हो जाएगा।
4-28	गया खंड में गया जंक्शन से 594 डाउन 06.30 बजे खुलती है और पटना जंक्शन 09.45 बजे पहुँचती है तब से यह रैक मिठापुर यार्ड में दिन भर पड़ी रहती है । यही गाड़ी संध्या 19.30 बजे पटना जंक्शन से 593 अप बन कर गया जंक्शन के लिए प्रस्थान करती है । हमारी यह मॉग है कि यह गाड़ी यार्ड में 09 घंटे 45 मिनट अनावश्यक रूप से खड़ी रहती है इसलिए इस गाड़ी को पटना और गया के बीच यात्री के अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी के परिचालन की व्यवस्था की जाए। इसका प्रस्थान का समय पटना जंक्शन में 09.45 बजे आगमन के बाद अप में 12.30 बजे दिन में किया जाए और गया जंक्शन में 03.30 बजे पहुँचायी जाए और डाउन में 16.00 बजे प्रस्थान करवायी जाए जो पटना जंक्शन में 19.00 बजे पहुँचे । फिर इसी सवारी गाड़ी को 593 अप बनाकर 19.30 मिनट के जगह पर 20.00 बजे प्रस्थान करवायी जाए।	यह वर्तमान लिंक के अनुसार संभव नहीं है क्योंकि रेक पुनः 15:20 बजे पटना जं0–सासाराम पैसेंजर ट्रेन कार्य करती है।गाड़ी सं0 593/94 पटना–गया एवं गाड़ी संख्या769/70 पटना–सासाराम एक ही लिंक से चलती है। अतः इस रेक से अतिरिक्त सवारी गाड़ी नहीं चलायी जा सकती है।
4-29	दानापुर–जयनगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस (3226 ए) को समय पर चलायी जाए एवं जयनगर–दानापुर जो बरौनी में अलग होकर जाती है उसमें बोगी की संख्या बढ़ायी जाए।	दानापुर–जयनगर एवं दानापुर –सहरसा इन्टरसिटी एक साथ मिलकर 21 कोच से चलती है। इसका अगुमेन्टेशन के लिए अतिरिक्त कोच मिलने पर विचार किया जायेगा। वर्तमान में 3226/3225 ट्रेन 08 कोच तथा 3226A/3225A ट्रेन 13 कोच एक साथ जुड़कर 21 कोच से चल रही है। अतः इस ट्रेन में अधिकतम 3 कोच और जोड़े जा सकते है।
4-30	मधुबनी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बुकिंग काउण्टर की व्यवस्था की जाए।	मधुबनी स्टेशन पर यह सुविधा प्रदान कर दी गयी है ।
4-31	सकरी स्टेशन में एक ही रिजर्वेशन काउंटर है। इनकी संख्या को दो की जाए।	इस प्रस्ताव के औचित्य की जॉच करायी जा रही है ।
4-32	पटना साहिब स्टेशन को बनवाने के लिए 06 करोड़ की योजना है। इस स्टेशन का पुनर्निमाण का कार्य कब से शुरू की जाएगी इसकी जानकारी दी जाए।	स्टेशन बिल्डिंग के निमार्ण हेतु कन्सलटेन्सी प्रस्ताव दानापुर मंडल में विचाराधीन है।
4-33	3007–08, 2023–24, 5713–14,	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा

	2367–68 एवं 8449–50 का ठहराव राजेन्द्रनगर टर्मिनल पर दिया जाए।	रही है।वाणिज्य औचित्य मिलने पर ठहराव हेतु विचार किया जायगा।
4-34	3331–32 का ठहराव गुलजारबाग, खुसरूपुर एवं बड़हिया में दिया जाए।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है । वाणिज्य औचित्य मिलने पर ठहराव हेतु विचार किया जायगा।
4-35	2791–92, 2387–88, 6359–60, 2149–50, 2367–68, 3239–40, 2315–16, 2327–28, 2369–70 एवं 4003–04 का ठहराव दानापुर स्टेशन पर दिया जाए।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है । वाणिज्य औचित्य मिलने पर ठहराव हेतु विचार किया जायगा।
4-36	3111–12, 3483–84 एवं 3113–14 का ठहराव सदिसोपुर स्टेशन पर दिया जाए ।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है । सदिसोपुर को पूर्व ब्लॉक स्टेशन बननेके पश्चात इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।
4-37	2295–96 का ठहराव बिहटा स्टेशन पर दिया जाए।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है ।वाणिज्य औचित्य मिलने पर ठहराव पर विचार किया जायगा।
4-38	3243–44 का ठहराव टेहटा स्टेशन पर किया जाए।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है । वाणिज्य औचित्य मिलने पर ठहराव पर विचार किया जायगा।
4-39	2365–66 का ठहराव जहानाबाद स्टेशन पर किया जाए।	इस प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है । वाणिज्य औचित्य मिलने पर ठहराव पर विचार किया जायगा।
4-40	सहरसा स्टेशन की छोटी लाईन की गाड़ी जहॉ खड़ी होती है वहॉ गंदगी काफी रहती है। सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए।	सहरसा स्टेशन(छोटी लाइन) की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु समचिधि/सहरसा को निदेशित किया गया है।
5-0	**श्री विनोद कुमार गुप्ता**	---
5-1	डी0एम0यू0 गाड़ियॉ समस्तीपुर–दरभंगा, समस्तीपुर–खगड़िया (भाया–रूसेरा घाट), समस्तीपुर–बरौनी तथा समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर के बीच शीघ्र चलाया जाए।	रेक की उपलब्ता के बाद इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा ।
5-2	गाड़ी संख्या 3225 एवं 3236 के डब्बों में बढ़ोतरी की जाए तथा उसका ठहराव किशनपुर स्टेशन पर किया जाए।	वर्तमान में 3226/3225 ट्रेन 08 कोच तथा 3226A/3225A ट्रेन 13 कोच एक साथ जुड़कर 21 कोच से चल रही है। अतः इस ट्रेन में अधिकतम 3 कोच और जोड़े जा सकते गाड़ी सं0 3225/3226 के डिब्बों में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त कोच मिलने पर विचार किया जायेगा।
5-3	बापूधाम मोतिहारी से चलने वाली गरीब रथ को समस्तीपुर तक विस्तारित किया जाए क्योंकि वहॉ से गाड़ी आपकी खाली ही जाती है।	इस गाड़ी का विस्तारीकरण मुजफफरपुर तक करने के लिए बजट में घोषणा हो चुकी है।
5-4	दरभंगा से चलने वाली पवन एक्सप्रेस	पवन एक्सप्रेस का परिचालन दरभंगा से 03 दिन

	जो साप्ताहिक चलती है उसे प्रतिदिन चलाया जाए।	और मुजफ्फरपुर से 04 दिन किया जाता है । दोनों स्टेशनों के लिए रेक समान होता है । अतः इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है ।
5-5	जयनगर से कोलकाता के लिए नई गरीब रथ गाड़ी प्रारंभ की जाए।	नया गरीब रथ चलने के लिए पिट, पथ एवं स्टोक की कमी है।
5-6	समस्तीपुर से सहरसा प्रातः 05.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक एकमात्र गाड़ी है । इसलिए इस अवधि में गाड़ी की संख्या में बढ़ोतरी की जाए।	सहरसा में स्टेबलिंग लाईन की कमी है अतः अतिरिक्त गाड़ी का परिचालन समंव नहीं है।
5-7	मध्य रात्रि में समस्तीपुर–खगड़िया से सहरसा तक एक नई गाड़ी चलायी जाए।	रात्री में जानकी एकसप्रेस रात्रीकालीन सेवा समस्तीपुर सहरसा के बीच उपलब्ध है।
5-8	जयनगर से पटना जंक्शन तक के लिए रात्रि सेवा प्रारंभ की जाए।	पिट, स्टोक एवं पथ उपलब्ध नहीं है।
5-9	सहरसा से पटना जंक्शन तक के लिए रात्रि में नई गाड़ी चालू की जाए।	सहरसा से पटना जं0 तक के लिये रात्रि में नई गाड़ी चलाने के लिए घोषणा हो चुकी है।
5-10	संध्या समय समस्तीपुर से सिल्लीगुड़ी के लिए एक गाड़ी चलायी जाए।	समस्तीपुर से सिल्लीगुड़ी के लिए बहुत सी गाड़ियॉ उपलब्ध है, वर्तमान में दरभंगा–न्यूजलपाईगुड़ी गाड़ी सं0 5723/5724 चलायी गई है।
5-11	सामान्य एवं शयनयान की बोगियों की पहचान स्पष्ट दृष्टिगोचर हेतु सामान्य बोगियों के डब्बों के लिए पीले रंग या किसी अन्य रंग में किया जाए जिससे लोगों को बोगियों को पहचानने में सुविधा हो।	सामान्य बोगियों के स्पष्ट दृष्टिगोचर हेतु कोच एवं डोरवे के बीच उपरी भाग में पीले पेंट से पेंटिंग हेट्च मार्क रहता है।
6-0	**श्री विक्रम पाण्डे**	----
6-1	9605–9606 कोलकाता–अजमेर एक्सप्रेस का ठहराव धनबाद मंडल के फुसरो स्टेशन पर किया जाए।	गाड़ी सं0 9605/9606 कोलकाता–अजमेर एक्सप्रेस का मंडल से टिकट बिकी विवरण प्राप्त होने पर इसकी ठहराव पर जॉच की जायेगी। सप्ताह में एक दिन चलने वाली यह ट्रेन हाल ही में शुरु किया गया एवं धनबाद से खुलने के बाद बरकाकाना रुकती है। फुसरो डी श्रेणी का स्टेशन है एवं धनबाद बरकाकाना रेल खंड के मध्य स्थित है। प्रतिदिन यहॉ से औसतन 700 यात्री यात्रा करते हैं।
6-2	1447–1448 हाबड़ा–जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव धनबाद मंडल के जारंगडीह स्टेशन पर दिया जाए।	यह गाड़ी वेरमो एवं बोकारो थर्मल स्टेशन जो जारंगीडीह के दोनों और अवस्थित है, वहॉ पर रूकती है। अतःइसके ठहराब का औचित्य नहीं है।बोकारो एवम् जारंगडीह के बीच की दूरी 3 कि.मी. है।
6-3	धनबाद मंडल के चन्द्रपुरा जंक्शन पर निम्नलिखित गाड़ियों का ठहराव दिया जाना आवश्यक है क्योंकि डी.वी.सी. एवं	इन गाड़ियों में से कुछ गाड़ी के लिए ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है।, लेकिन स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है।

	कोयलांचल क्षेत्र का यह प्रमुख स्टेशन है – 1. 8103–8104 अमृतसर–जालियांवाला बाग एक्सप्रेस, 2. 5761–5762 रॉची–अलीपुरद्वार एक्सप्रेस, 3. 2365–2366 रॉची–पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, 4. 8627–8628 हाबड़ा–रॉची इंटरसिटी एक्सप्रेस, 5. 8609–8610 हटिया–लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, 6. 0585ए–0586ए हटिया–जयनगर एक्सप्रेस ।	1. गोमो से अमृतसर के लिए सिर्फ 25–30 टिकट प्रतिदिन की बिक्री है अतः वाणिज्यिक औचित्य नहीं है। 2. अलीपूरद्वार के लिए मात्र एक ही ट्रेन है अतः वाणिज्यिक औचित्य है। 3. वर्तमान में पटना के लिए दो ट्रेन है। लगभग 75 यात्री प्रतिदिन चन्द्रपुरा से पटना के लिए यात्रा करते हैं। 12365/ 12366 पटना–रॉची जन शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा जं. पर दिया जा सकता है। 4. वर्तमान में हावड़ा के लिए दो ट्रेनहै। लगभग 30 यात्री प्रतिदिन चन्द्रपुरा से हावड़ा के लिए यात्रा करते हैं। 18527/ 28 हावड़ा रॉची इंटरसीटी का ठहराव चन्द्रपुरा जं. पर दिया जा सकता है। 5. गोमो में इस गाड़ी का ठहराव है अतः गोमो आकर इस गाड़ी को पकड़ा जा सकता है। 6. वाणिज्यिक औचित्य है, ठहराव दिया जा सकता है, यदि परिचालनिक औचित्य है।
6-4	2381–2382 हाबड़ा–दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव धनबाद मंडल के गोमो जंक्शन पर दिया जाए।	प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
6-5	2941–2942 आसनसोल–अहमदाबाद एक्सप्रेस का ठहराव गोमो जंक्शन पर दिया जाए।	प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
6-6	2987–2988 सियालदाह–अजमेर एक्सप्रेस का ठहराव गोमा जंक्शन पर दिया जाए।	प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
6-7	धनबाद मंडल के अंतर्गत गोमो एवं मतारी के बीच स्थित रामाकुंडा में हॉल्ट का निर्माण करवाया जाए।	प्रस्ताव की समीक्षा करायी जा रही है ।
6-8	धनबाद मंडल अंतर्गत गोमो–बरकाकाना रेलखंड में बोकारो थर्मल एवं गोमिया स्टेशन के बीच स्वांग में हाल्ट का निर्माण करवाया जाए।	प्रस्ताव की समीक्षा करायी जा रही है ।
6-9	फुसरो स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के प्रतिक्षांलय का निर्माण एवं अतिरिक्त शेड की व्यवस्था की जाए।	फुसरो स्टेशन 'डी' श्रेणी नॉर्म्स के आधार पर स्टेशन में द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय जो 47वर्गमीटर, पीएफ शेड 96 वर्गमीटर एवं लिन टू शेड 66.70 वर्गमीटर पहले से ही उपलब्ध है। रेलवे बोर्ड के नीति अनुसार प्रतीक्षालय एवं शेड की व्यवस्था है।
6-10	बेरमो स्टेशन के प्लेटफार्म को उँचा किया जाए, शेड बनवाया जाए, पानी एवं	कार्य स्वीकृत होने के पश्चात प्लेटफार्म उँचा कराया जायेगा। बेरमों स्टेशन 'ई' श्रेणी का है,

	प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए तथा उतरी और दक्षिणी छोर को जोड़ते हुए उपरिगामी पैदल पुल का निर्माण करवाया जाए।	नॉर्म्स के अनुसार पानी एवं शेड उपलब्ध है। बेरमो स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था है तथा इन प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए पंखे भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।
6-11	अमलो ब्लॉक हॉल्ट में प्लेटफार्म का निर्माण, शेड, पानी एवं प्रकाश की व्यवस्था की जाए एवं रेलवे साइडिंग को कवर करते हुए उतरी–दक्षिणी छोर के बीच उपरिगामी पैदल पुल का निर्माण करवाया जाए।	कार्य स्वीकृत होने के पश्चात कराया जायेगा। अम्लो ब्लॉक हाल्ट 'एफ' श्रेणी का स्टेशन है। यहां नॉर्म्स के हिसाब से शेड एवं पानी उपलब्ध है। अमलो ब्लॉक हॉल्ट के प्लेटफार्म पर 3 स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था कर दी गयी है।
6-12	जारंगडीह स्टेशन में प्लेटफार्म का निर्माण एवं प्रकाश, पानी एवं शेड की व्यवस्था की जाए।	रेल लेवल प्लेटफार्म उपलब्ध है। चापाकल उपलब्ध है। लिन टू शेड की व्यवस्था की जा रही है। जारंगडीह स्टेशन के प्लेटफार्म पर 7 स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था एवं हर जगह पंखे की व्यवस्था है।
6-13	जगेश्वर बिहार एवं डुमरी बिहार स्टेशनों पर प्लेटफार्म का निर्माण, प्रकाश, पानी एवं शेड की व्यवस्था की जाए।	रेल लेवल प्लेटफार्म उपलब्ध है। नॉर्म्स के हिसाब से पानी एवं शेड उपलब्ध है।जोगेश्वर बिहार एवं डुमरीबिहार दोनों स्टेशनों के प्लेटफार्म पर 12–12 प्रकाश प्वाइंटो एवं 4–4 पंखों की व्यवस्था है।जगेश्वर विहार तथा डुमरी विहार ई श्रेणी का स्टेशन है। रेलवे बोर्ड के नीति अनुसार इन स्टेशनों पर रेल लेवल प्लेटफार्म, पानी तथा प्रकाश की व्यवस्था है।
6-14	गोमिया स्टेशन के प्लेटफार्म को उँचा एवं प्लेटफार्म संख्या 02 पर यात्री शेड का निर्माण किया जाए।	एक प्लेटफार्म का कार्य उँचा किये जाने का कार्य स्वीकृत है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
6-15	मुगलसराय मंडल के अंतर्गत गढ़वा रोड–सोननगर रेल खंड के बड़की सलैया स्टेशन पर प्लेटफार्म को उँचा किया जाए एवं एफ.ओ.बी. का निर्माण किया जाए।	बड़की सलैया स्टेशन 'ई' श्रेणी का है और मानक के अनुसार रेल लेवल प्लेटफार्म का ही प्रावधान है। उपरिगामीपुल का प्रावधान नहीं है।
6-16	626 डाउन बरकाकाना–गोमो पैसेन्जर गाड़ी का मेल गोमो स्टेशन पर धनबाद–गया इंटरसिटी एक्सप्रेस (3305–06) से कराया जाए। यह गाड़ी तेलो स्टेशन से गोमों की दूरी 30 मिनट से भी अधिक समय में तय करती है जबकि इसकी दूरी केवल 10 कि0मी0 है ।	समय सारणी बनाने के समय इस प्रस्ताव की जॉच की जायेगी।
6-17	धनबाद मंडल के अंतर्गत राजाबेड़ा हाल्ट पर टिकट बिक्री की व्यवस्था की जाए।	राजाबेड़ा हॉल्ट खोलने का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग द्वारा भेजा गया था जिसे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया गया है ।
6-18	3347–48 बरकाकाना–पटना पलामू एक्सप्रेस जो कि दो राज्यों को जोड़ता	गाड़ी सं0 3347/3348 में तीन महीने के लिये प्रायोगिक तौर पर एसी थ्री शयनयान कोच

	है में तृतीय श्रेणी का वातानुकूलित कोच लगाया जाए । इससे पहले भी प्रथम श्रेणी का कोच लगा था।	लगाया गया था, लेकिन टिकट बिक्री सन्तोषजनक नहीं होने के कारण इसे काट लिया गया है।
7-0	श्री आर0 यू0 सिंह	----
7-1	अनुरोध है कि यदि कोई पत्र महाप्रबंधक महोदय को प्रेषित किया जाता है तो कम–से–कम उसकी पावती देने की व्यवस्था की जाए।	पावती दी जाती है। फिर भी इसमें कमी को इंगित करने पर त्वरित कार्यवाई की जाएगी।
7-2	यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि दानापुर से पटना आने के क्रम में अक्सर गाड़ियों को दो से चार घंटे लग जाते हैं । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है एवं दानापुर कंट्रोल में व्याप्त खामियों को दूर किया जाए।	दानापुर मंडल को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया जा चुका है कि गाड़ियों का समय पर परिचालन सुनिश्चित हो।दानापुर–पटना के बीच 'नो रूम' के कारण गाड़ियों के विलम्ब से बचने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसमें उल्लेखनीय सुधार है।
7-3	पटना से मुगलसराय रेलखंड के बीच रेलवे की जमीन है जैसे जमानिया स्टेशन के अप प्लेटफार्म के दक्षिण बहुत सारी जमीन है वहाँ पर दो लाइनें कम–से–कम बनायी जा सकती है जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।	ऐसा कोई भी काम स्वीकृत नहीं है।
7-4	जमानिया स्टेशन पर कार्यरत आरक्षण काउन्टर केवल दो बजे तक काम करता है इसे कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है साथ ही अतिरिक्त टिकट काउन्टर स्थापित किया जाए।	जमानियाँ स्टेशन पर अतिरिक्त काउन्टर बन कर तैयार है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे चालू किया जाएगा।
7-5	3237–3238, 3239–3240, 2335–2336, 5645–5646, 5647–5648, 2391–2392, 9047–9048, 2333–2334, 4055–4056 इन गाड़ियों में से रेलवे अपनी सुविधा अनुसार कम–से–कम चार गाड़ियों का ठहराव जमानिया स्टेशन पर करने की व्यवस्था करे।	प्रस्ताव के वाणिज्यिक औचित्य की जॉच करायी जा रही है ।
7-6	जमानिया रेलवे स्टेशन के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में अतिक्रमण को हटाकर स्टेशन पहुँचने के मार्ग को चौड़ा किया जाए एवं वहाँ पर कार/टैक्सी/टेम्पों आदि के लिए पार्किंग बनवाया जाए।	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
7-7	जमानिया स्टेशन के उत्तर–पश्चिम भाग में रेलकर्मियों के आवास हेतु बहुमंजिली इमारतें बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।	इस पर विचार किया जायेगा।
7-8	जमानिया स्टेशन के अप प्लेटफार्म के बगल में उपलब्ध भूमि पर शंटिंग की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त लाईन का निर्माण कराया जाना चाहिए।	परिचालन आवश्यकता होने पर विचार किया जायेगा।
7-9	जमानिया स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर	जमानिया स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर

	शौचालय के साथ विश्रामालय का निर्माण कराया जाए।	शौचालय एंव विश्रामालय उपलब्ध है।
7-10	जमानिया स्टेशन पर कम से कम दो और यात्री शेड बनवाया जाए।	वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित किया जायेगा ।
7-11	जमानिया स्टेशन पर केवल एक चापाकल है इसलिए वहॉ पेयजल हेतु अतिरिक्त चापाकल एवं वाटर–टावर का निर्माण करवाया जाए।	जमानिया स्टेशन पर दो चापाकल एवं पानी टंकी उपलब्ध है।
7-12	पटना जं0 –मुगलसराय रेलखंड पर चेन पुलिंग को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए।	पटना–मुगलसराय रेलखंड पर चेन पुलिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु चिन्हित गाडियों में रे0सु0ब0/रे0सु0वि0बल का मार्ग अनुरक्षम दल तैनात किया जाता है जिसके हाथ ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करके रेल अधिनियम की संगत धारा के तहत कानूनी कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा जाता है।इसके अतिरिक्त ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो समय–समय पर रेल राज्य पुलिस एवं स्थानीय पुलिस से समन्वय कर विशेष अभियान चलाकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किया जाती है।
7-13	इस जोन में यात्रियों की सामान्य समस्याएँ जैसे – परिचालन के संबंध में डिस्प्ले बोर्ड पर अद्यतन सूचना का अभाव, पूछताछ काउन्टर पर अत्यधिक भीड़, पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय का अभाव, रौशनी एवं पंखों का अभाव, विश्रामालय का अभाव आदि हेतु कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।	पॉचों मंडल के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के अद्यतन सूचना हेतु डिसप्ले बोर्ड लगाया गया है जो कुशलता पूर्वक कार्यरत है। इन पर अद्यतन सूचना की फीडिंग वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है। सभी मंडलों में स्टेशनों के कैटेगरी के अनुसार पेयजल, शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था की गई है। पेयजल की स्वच्छता की जॉच संबंधित HI द्वारा प्रत्येक माह की जाती है, जिसके लिए पुनः निर्देशित किया गया है। स्टेशनों पर पर्याप्त पंखा एवं प्रकाश की व्यवस्था की गयी है। जिन18 स्टेशनों पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सप्लाई स्टेशन के आसपास उपलब्ध नहीं है परन्तु इन स्टेशनों पर सोलर लाईट से प्रकाश की व्यवस्था की गयी है। विश्रामालय में जहॉ कहीं पंखे कीं शिकायत मिलती है उसे तत्काल दूर कर दी जाती है।
7-14	जेडआरयूसीसी के सदस्यों को रेलयात्रा हेतु निःशुल्क पॉस की व्यवस्था होनी चाहिए।	अभी यह नियमानुसार नही है।
8-0	**श्री कुमुद वर्मा**	-------
8-1	जितने महत्वपूर्ण पीआरएस है वहॉ पर टोकन सिस्टम किया जाना चाहिए । इससे वृद्धों, महिलाओं एवं अपंग/अशक्त लोगों के साथ–साथ	पू.म.रे. के कुछ स्टेशनों पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है । इसकी सफलता के उपरांत इसे अन्य स्टेशनों पर लागू करने पर विचार किया जाएगा।

	सभी लोगों को सुविधा होगी । लंबी–लम्बी कतार से भी लोगों को राहत मिलेगी । इस तरह जयपुर, दिल्ली, नागपुर आदि स्टेशनों पर व्यवस्था की गयी है।	
8-2	पटना जं0 से बाहर निकलते समय इसके सर्कुलेटिंग एरिया में इतना इनक्रोचमेंट है कि बाहर निकलने में काफी वक्त लग जाता है । इस पर आपलोग क्या कर रहे हैं ? जितने भी सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें प्राइवेट ऑटोवाले अपने ऑटो लगाए रहते है इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।	पटना के सर्कुलेटिंग एरिया में वाहनों के यत्र–तत्र ठहराव को रोकने हेतु ससुआ सह पोस्ट कमान्डर/पटना जं0 के द्वारा औचक जॉच एवं दविश कर कानूनी कार्यवाही की जाती है तथा दोषी पाए गए ड्राईवर को वाहन संहित गिरफ्तार कर रेलवे एक्ट के वृहत् न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त सर्कुलेटिंग एरिया में अतिक्रमण को रोकने हेतु वाणिज्य एवं इंजिनियरिंग विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाती है। डियूटी पर तैनात बल सदस्यों के द्वारा कडी निगरानी की जाती है।
8-3	पटना जं0 पर रेलवे पूछताछ काउन्टर सेपरेट होना चाहिए।	पटना जं0 पर इन्क्वायरी सिस्टम अलग से है।
8-4	रेलवे पूछताछ के लिए 139 द्वारा सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है । खासकर विलम्ब से चलने वाली गाड़ियों के संबंध में और गाड़ियों के रद्द होने की स्थिति में इससे सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है जिसके कारण टिकट रद्द करवाने में असुविधा होती है । इसमें सुधार किया जाए।	139 टेलीफोन की सुविधा तकनीकी रूप से सही काम कर रही है। सही जानकारी के लिए हर 15 मिनट पर गाड़ियों के परिचालन की सही स्थिति के लिए प्रावधान किया गया है।
8-5	करबिगहिया एवं पटना जं0 के लिए मिडिल फुटओभर ब्रिज बनाया जाए।	जमीन अधीग्रहण का कार्य प्रकिया में है। जमीन अधीग्रहण के पश्चात एफओवी का विस्तार करबिगहिया तक किया जायेगा।
8-6	पटना जं0 पर उद्घोषणा, साफ–सफाई, प्लेटफार्म का सरफेसिंग एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा को और सुधारा जाए।	पटना जं. पर उदघोषणा प्रणाली सुचारु रुप से कार्य कर रही है। पटना जं0 की साफ–सफाई का कार्य दो संवेदकों द्वारा करवाया जा रहा है। इसके साफ–सफाई को उच्चस्तर का बनाए रखने के लिए मंडल के विभिन्न अधिकारियों को निरीक्षण का कार्य सौपा गया है। पेयजल की गुणवता की जॉच नियमानुसार की जा रही है। प्लेटफार्म नं0 4, 5, 8, 9 के दिल्ली छोड़ एवं प्लेटफार्म नं0 2, 3 के सरफेस के सुधार के लिए टेन्डर खुल चुका है तथा पेय जल की सुविधा उपलब्ध है।
8-7	पटना जं0 के करबिगहिया में दूसरे एक्जीट प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाए एवं सर्कुलेटिंग एरिया के पास पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से किया जाए।	निमार्ण विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। पार्किंग प्लान व.मं.वा.प्र. द्वारा विकसित किया जा रहा है।
8-8	पटना जं0 के दोनों तरफ आउटर	दानापुर मंडल को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश

	सिग्नल पर दूरवर्ती गाड़ियों को बार–बार डिटेंशन के कारण रोके रखा जाता है । इस तरह के अनावश्यक विलंब की ओर ध्यान दिया जाए।	जारी किया जा चुका है कि गाड़ियों को समय पर परिचालन सुनिश्चित किया जाय। पटना होम सिगलन पर 'नो रूम' के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अप एवं डाउन गाड़ियों के बिलम्ब से बचाव हेतु सभी प्रयास किये गए है।
8-9	दानापुर जं0 पर कोच इंडिकेशन बोर्ड (कोच संकेतक बोर्ड) लगाया जाए।	इस कार्य की स्वीकृति हेतु वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर द्वारा दिनांक 17.09.2010 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/दानापुर को सूचित किया जा चुका है ।
8-10	दानापुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को विकसित किया जाए एवं बीच वाले एफ. ओ.बी. को चौड़ा किया जाए । रेलवे बोर्ड की स्वीकृति होने के बाद भी इसमें काफी विलंब किया जा रहा है।	एफओवी का टेन्डर एवार्ड किया जा चुका है। कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ होगा।
8-11	दानापुर स्टेशन में विशेष रूप से दक्षिणी छोर में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए एक अलग से बुकिंग काउन्टर खोला जाए।	दानापुर स्टेशन के दक्षिणी छोर पर जगह की उपलब्धता होने पर इसकी व्यवस्था की जाएगी ।
8-12	पटना जंक्शन पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड आरक्षित टिकट खरीदने की सुविधा दी जाए।	पटना जं. के पी.आर.एस. काउंटर पर यह सुविधा देना संभव नहीं है । वैसे, इंटरनेट पर केडिट कार्ड से टिकट लेने की सुविधा उपलब्ध है।
8-13	पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से प्रारंभ होने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउस किपिंग, साफ–सफाई की व्यवस्था शुरू की जाए । साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण/जॉच की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।	पूर्व मध्य रेल से खुलने वाली 21 जोड़ी ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस किपिंग योजना के तहत सफाई का ठेका निजी एजेंसियों को दिया गया है । ट्रेन में साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है। समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण किये जाते है।
8-14	हाबड़ा–हरिद्वारा एक्सप्रेस (2369), हाबड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस (2327), पटना–सिकंदराबाद एक्सप्रेस (2792), भागलपुर–नई दिल्ली बिक्रमशिला एक्सप्रेस (2367) ए 16 ज न साधारण एक्सप्रेस (2387) का ठहराव दानापुर स्टेशन पर दिया जाए।	प्रस्ताव के वाणिज्यिक औचित्य की जॉच करायी जा रही है। दानापुर में 12719/12792, 12387/12388, 16359/16360, 12149/12150, 12367/12368, 13239/13240, 12315/12316, 12327/12326, 12369/12370 तथा14003/14004 का ठहराव हेतु प्रस्ताव की जॉच की जा रही है और वाणिज्यिक औचित्य के बाद इस पर विचार किया जाएगा।
8-15	पूर्व मध्य रेल के प्रत्येक मंडल विशेष रूप से दानापुर मंडल में आरक्षित कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा करना और एलार्म चैन पुलिंग को रोका जाए।	इसके लिए मंडलों को निर्देश दिया गया है । दानापुर मंडल में आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले वेटिकट एवं अनधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाकर (दोषी–व्यक्तियों के विरूद्ध) आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

9-0	डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप	------
9-1	गया रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली एक स्टेशन है वाराणसी जो पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है । इन दोनों स्टेशनों के बीच में गाड़ियों की संख्या काफी कम है । इसलिए मेरी मॉग है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी दी जाए।	यात्रियों की मांग को देखते हुए वर्तमान में गाड़ियों की संख्या प्रर्याप्त प्रतीत होती है। गया से वाराणसी हेतु पर्याप्त मे0/ए0 ट्रेनें परिचालित हैं जो निम्नलिखित है:– ट्रेन सं0 | गया में प्रस्थान समय | परिचालन आवृत्ति 3307 | 01.00 | प्रतिदिन 5109 | 04.35 | प्रतिदिन 3009 | 05.10 | प्रतिदिन 3151 | 21.15 | प्रतिदिन 8103 | 04.10 | द्विसाप्ताहिक 2875 | 03.15 | त्रैसाप्ताहिक 2381 | 14.55 | त्रैसाप्ताहिक 8609 | 03.15 | साप्ताहिक 1046 | 17.05 | साप्ताहिक
9-2	बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के समयपालन को सुधारा जाए।	15109/15110 बुद्ध पूर्णिमा ए0 का समय पर परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
9-3	हाबड़ा– देहरादून एक्सप्रेस में दो कोच लगता था और मुगलसराय तक जाता था । उस कोच में यह सुविधा थी कि जेनरल टिकट लेकर लोग मुगलसराय जा सकते थे । उसका पूरा कोटा गया से था अब वह मुगलसराय से हो गया । अगर इस सुविधा को बहाल कर दिया जाता है तो गया से वाराणसी जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा हो जाती । बाकी जो भी ट्रेनें है या तो वे रात्रिकालीन गाड़ियॉ हैं या उनकी बारंबारता कम है ।	ट्रेन सं. 3010 डा0 में गया कोच (S-8& S-9) मुगलसराय से जोड़ा जाता है। मुगलसराय में इस ट्रेन में कोई आरक्षण कोटा प्रदान नहीं था इस ट्रेन में गया को प्रदत्त 3 एसी0 में 04 वर्थ एवं स्लीपर में 125 वर्थ के आरक्षण कोटे को पी. आर.एस. मुख्यालय द्वारा युक्तिसंगत करते हुए मुगलसराय को दिनांक 18.8.2010 से 3 एसी में 02 वर्थ एवं स्लीपर में 91 बर्थ तथा गया को 3 एसी में 02 बर्थ एवं स्लीपर में 36 बर्थ प्रदान किया गया है एवं इसे मुगलसराय एवं गया दोनों के लिए सुलभ बनाया गया है।गया से दिन के समय वाराणसी हेतु निम्नलिखित मे0/ए0 ट्रेनें परिचालित है:– ट्रेन सं0 | गया में प्रस्थान समय | परिचालन आवृत्ति 5109 | 04.35 | प्रतिदिन 3009 | 05.10 | प्रतिदिन 8103 | 04.10 | द्विसाप्ताहिक 2875 | 03.15 | त्रैसाप्ताहिक 2381 | 14.55 | त्रैसाप्ताहिक 8609 | 03.15 | साप्ताहिक 1046 | 17.05 | साप्ताहिक
9-4	गया में पार्किंग के ठेकेदार लोग स्टेशन में आने वाले लोगों से जैसे ही प्रवेश करते हैं उनको 25 रूपये की रसीद थमा देते हैं भले ही वे केवल यात्री को उतार कर जा रहे हों । इस ओर महाप्रबंधक	मंडल रेल प्रशासन ने विषय को गंभीरता से लेते हुए निम्न कदम उठाये है:– 1.प्रिमियम पार्किंग / गया रेलवे स्टेशन के पार्किंग कॉन्ट्रेक्टर को लिखित रूप से यह चेतावनी दी गयी है कि उपरोक्त पार्किंग ठेके के

	स्तर से ध्यान देने की जरूरत है।	परिचालन संबंधित कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लायें अन्यथा रेल प्रशासन उनके विरूद्व नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई करेगी। 2. दिनांक 24.12.10 को एक यात्री के द्वारा दर्ज प्रिमियम पार्किंग के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत की जॉचोपरान्त पार्किंग कॉन्ट्रेक्टर के उपर रू0 500/– का अर्थ दण्ड लगाया गया है। 3. गया रेलवे स्टेशन पर Round-the-clock 15 दिनों का एक अभियान दिनांक 30.12.10 से शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत एक रेलवे कर्मचारी एवं एक आर.पी.एफके कर्मचारी को पालीवार उपरोक्त पार्किंग ठेके के परिचालन संबंधित कार्यकलाप की निगरानी हेतु तैनात किया गया। ऐसे अभियान भविष्य में और चलाये जाने की योजना है। 4. क्षेत्रीय अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, गया को पार्किंग के संचालन की निगरानी हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।
9-5	गया के गुड्स शेड की व्यवस्था काफी दयनीय है । वहॉ जो प्लेटफार्म है वह पर्याप्त नहीं है, शेड भी पर्याप्त नहीं है, सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । जब वहॉ पर रेक आता है तो हमलोग लोकल थाने वाले को अनुरोध करके बुलाते हैं रेलवे के पुलिस हमलोगों को सहयोग नहीं करते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि गुड्स शेड की स्थिति का मूल्यांकन करके सुधार किया जाए।	गया गूड्स शेड में सुधार के लिए निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गया मालगोदाम में आधारभूत सुविधाएँ प्रदत्त हैं। सुरक्षा हेतु आर.पी.एफ कर्मचारियों की डियुडी लगती है। लदान/उतरान के लिए प्लेटफार्म एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए हाई मास्ट टावर तथा डीज़ल जेनरेटर सेट प्रदत्त कराने के कार्य स्वीकृत है।
9-6	जिस तरह से पटना में प्लेटफार्म पार करने के लिए थ्रू ओभर ब्रिज बनाया गया है जिससे पार होने के लिए टिकट नहीं लेना पड़ता है इस तरह का ओभर ब्रिज गया स्टेशन पर भी बनाया जाना चाहिए।	इस तरह का उपरगामी पुल गया रेलवे स्टेशन के दिल्ली छोर में उपलब्ध है। गया स्टेशन पर चौड़े फूट ओभर ब्रीज के निर्माण का कार्य स्वीकृत है। रेलवे प्लेटफार्म पर आने पर वैध अधिकार पत्र (टिकट, पास, परमिट आदि) का होना अनिवार्य है।
10-0	डा0 अनूप कुमार केडिया	-----
10-1	टिकट काउन्टरों पर लंबी लाईन लगने लगी हैं फिर भी सभी टिकट काउन्टर कार्यरत नहीं होते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि टिकट काउन्टरों की संख्या बढ़ायी जाए एवं सभी टिकट काउन्टर कार्यरत रहे।	गया स्टेशन पर उपलब्ध अनारक्षित टिकट काउन्टरों की कुल संख्या 13 है(डेल्हा बुकिंग कार्यालय को मिलाकर) । प्रत्येक पाली के Traffic trend के अनुसार काउन्टर चलाये जाते हैं। तथा ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों को असुविधा न हो। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। किंचित अपरिहार्य कारणों (यथा कर्मचारी के अस्वस्थ हो जाने) को छोड़कर गया आरक्षण कार्यालय मे प्रतिदिन चार टिकट काउन्टरों को एवं एक पी.आर.एस संबंधित पूछताछ काउन्टर को प्रति पाली चलाया गया है। आवश्यकता के

		अनुरूप पी.आर.एस. संबंधित पूछताछ काउन्टर को टिकट काउन्टर के रूप में में चलाये जाने का निर्देश दिया गया है। मु0आरक्षण पर्यवेक्षक/गया को स्वयं अतिरिक्त काउन्टर चलाने के लिए निर्देशित किया गया है।यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउन्टर खोला जाता है। Peak hours में पर्याप्त काउन्टर खुले रहते हैं।
10-2	प्राइवेट सेक्टर से जो टिकट बिक्री का प्रयोग कर रहे हैं क्या कारण है कि वह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है या फिर इसके लिए लाभ के जो कंपोनेंट हैं उन प्राइवेट टिकेट के जो कान्ट्रेक्टर है उनके लिए लाभप्रद नहीं है सुझाव है कि प्राइवेट टिकट जारी करने वाले को रेलवे परिसर में ही एक या दो रूपये अधिक लेकर यात्री को टिकट जारी कर सके । इसके लिए इस नीति को और अधिक उदार बनाये जाने की आवश्यकता है । साथ ही जो अनधिकृत टिकट विक्रेता हैं उन्हें भी अधिकृत किया जाए इस उदार नीति के तहत।	यह एक नीतिगत मामला है जिसपर निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया जा सकता है । टिकट बिकी के कार्य बोर्ड के नीतिगत नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार अनुपालित किये जाते है। अनधिकृत रूप से टिकटों की खरीद–बिकी की रोकथाम हेतु Indian Railway Act 1989 में कड़े प्रावधान है।
10-3	सभी स्टेशनों पर कोच का लोकेशन दर्शाने के लिए इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान होना चाहिए या कुछ स्टेशनों पर बड़े से बोर्ड में यह लिखा हो कि इंजन के बाद कौन सा कोच है फिर कौन–सा कोच है तो भी यात्रियों को आसानी होगी या एनाउन्सिंग सिस्टम के द्वारा भी कोचों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए।	ए–1 एवं ए क्लास स्टेशनों पर कोच इंडीकेशन सिस्टम लगा दिया गया है । सभी प्रमुख स्टेशनों पर इंडीकेशन बोर्ड का प्रावधान है तथा शेष बचे स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है । एक ही बोर्ड पर ट्रेन के हर कोच की जानकारी हेतु बोर्ड लगाने का कार्य वाणिज्य विभाग द्वारा स्वीकृत कराया जाएगा ।मंडल के चार महत्वपूर्ण स्टेशनों (गया, मुगलसराय, डेहरी–आन–सोन एवं सासाराम) पर ईलेकवट्रानिक कोच ईन्डिकेशन बोर्ड प्रदत्त कराने का कार्य स्वीकृत/जारी है। वर्तमान में एनाउन्सिंग सिस्टम के द्वारा कोचों की स्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है।
10-4	जिस जगह पर गाड़ी रूकती है तो टी. टी.ई को यह निर्देश दिया जाए कि वह कोच के पास उपलब्ध रहे ताकि वह यात्रियों को कोचों की स्थिति बता सके या वह अपने पास चौक रखे जिससे वह कोचों की संख्या लिख सके । साथ ही अप एवं डाउन में कोच संख्या एक ही रखी जाए।	टीटीई गाड़ी रूकने के स्टेशन पर कोच के पास उपलब्ध रहने के लिए निर्देशित है। अप एवं डाउन में कोच सं0 एक ही रखी जाए ऐसा व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है क्योंकि बीच के स्टेशनों पर जहाँ Engine reversal करना अनिवार्य है, उस स्थिति में कोचों का Marshalling order परिवर्तित होगा।
10-5	डीआरयूसी एवं जेडआरयूसीसी ये सारे जो फोरम हैं एकदम एक फार्मल होते जा रहे हैं । हमारा अनुरोध है कि हम सदस्यों के प्रत्येक पत्र पर पावती की	सदस्यों के प्रत्येक पत्र का जवाब/पावती डाक/निबंधित डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है।

	व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए।	
10-6	रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी स्टेशनों के विजिट पर जाते हैं खासकर यात्री सुविधा के संबंध में तो सदस्यों को भी जानकारी दी जाए जिससे कि उन्हें स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जा सके।	मंडल के जेडआरयूसीसी/डीआरयूसीसी सदस्यों को मंडल के अन्तर्गत आयोजित रेलवे के पदाधिकारियों के यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी जाती है। पदाधिकारियों के वैसे दौरे जिनका कोई पूर्व निर्धारित Schedule नहीं होता तथा जो औचक दौरे होते हैं उनके संबंध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
10-7	अगर जेडआरयूसीसी के सदस्यों को स्टेशनों पर पार्किंग शुल्क नहीं लगता है तो इस तरह का निर्देश पार्किंग कान्ट्रेक्टर को दिया जाना चाहिए ।	ऐसा कोई निर्देश नहीं है। जेडआरयूसीसी के सदस्यों को भी पार्किंग शुल्क देय है।
11-0	**श्री देवेन्द्र कुमार जैन**	----------
11-1	गया में नये वासिंग पीट का निर्माण 2009 में हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है इसके क्या कारण है तथा इसकी पूरी स्थिति की जानकारी दी जाए, यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ।	गया स्टेशन पर 24/26 कोच क्षमता का एक नया कोचिंग पिट लाईन/वाशिंग पिट प्रदत्त करने हेतु योजना मद 42 के तहत पी.डब्ल्यू. पी 2007–08 के स्वीकृत कार्य(2nd Pit line for 24 Coach Length with integrated sick line at Gaya) के संबंध में Letter of Acceptance(LOA) दिनांक 12.2.2011 को जारी किया जा चुका है।
11-2	गया–चेन्नई एक्सप्रेस को 12 घंटे समय बदलने का अनुरोध किया गया था जिसका जवाब मिला है कि यह संभव नहीं है । जो गाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से यात्रियों के सहूलियत के अनुसार नहीं चलायेगें तो फिर कैसा यात्री सुविधा । इसलिए मेरा पुनः अनुरोध होगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए ।	गया से चेन्नई जाने में एवं चेन्नई से गया वापस आने में 2389/2390 गया चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन एक रात एवं दो दिनों का समय लेती है तथा वर्तमान समय सारणी अनुकुल है । फिर भी उपरोक्त ट्रेन के समय परिवर्तन का मामला आई.आर.टी.टी.सी. की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।
11-3	गया–राजगीर रेलवे लाईन जो चालू किया है इसमें घोषणा हुई थी कि राजगीर से हाबड़ा गाड़ी जाएगी लेकिन इसमें लिखा है कि भाया मानपुर हाबड़ा जाएगी । इसे भाया गया चलाया जाए ।	गया–राजगीर लाईन चालू होने के पश्चात इसमें घोषणा हुई थी कि राजगीर से हावडा गाडी भाया तिलैया, कोडरमा नई लाईन के रास्ते चलायी जायेगी।
11-4	महाबोधी एक्सप्रेस की तरह का एक नई गाड़ी चलाया जाए । 2389/2390 का रेक गया में खड़ा रहता है उसे एक फेरा दिल्ली का लगाया जाना चाहिए ।	गाडी संख्या 2389/90 दिल्ली के लिये प्रस्ताव किया गया था, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं माना गया है।
11-5	गया–राजगीर रेल लाईन शीघ्र चालू किया जाए । साथ ही बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस को नये रेल पथ गया–राजगीर पर चलाया जाए ।	राजगीर–तिलैया लाईन दिनांक 29.06.10 से चालू कर दिया गया है, और अभी दो गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। जिसमें एक गाड़ी सीधी गया एवं राजगीर को जोड़ता है। बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।
11-6	गया स्टेशन पर गाड़ियों से पार्किंग शुल्क 25/– रूपये बसूले जाते हैं इसे 10 रूपये से अधिक नहीं होने चाहिए ।	रेलवे परिसर में पार्किंग स्टैन्ड में निःशुल्क पार्किंग का कोई प्रावधन नहीं है । रिक्शा पार्किंग का ठेका अलग से प्रदत्त है जिसके

	रिक्सेवाले से ऐसा कोई शुल्क नही ली जानी चाहिए ।	तहत लाईसेंसधरक को रिक्शा पार्किंग का शुल्क लेने हेतु दर निर्धरित है । जो गाड़ियॉ स्टेशन परिसर में आकर सवारियों को उतारकर बिना पार्किंग के चली जाती है उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिये जाने का प्रावधन है । निर्धारित पार्किंग दर पर ही ये शुल्क वसूल किये जाएं इसके लिए रेल प्रशासन सजग है ।
11-7	गया स्टेशन पर स्थित वेटिंग हॉल को सुधार कर आसनसोल स्टेशन के वेटिंग हॉल की तरह सुन्दर बनाया जाए । साथ ही प्लेटफार्म पर यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए ।	गया स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 1 के दिल्ली छोर पर नया एवं सुविधायुक्त प्रतिक्षालय(पुरूष एवं महिलाओं के लिए पृथक) को प्रदत कराया गया है। विभिन्न प्लेटफार्मो पर यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था प्रदत है।
11-8	प्लेटफार्म संख्या एके को और लम्बा किया जाए और महाबोधि एक्सप्रेस को प्लेटफार्म संख्या 01 से ही खोला जाए ।	इस पर विचार किया जा रहा है। प्लेटफार्म सं. 1 पर्याप्त लम्बा है (लगभग 725 मी0 लम्बा तथा31 कोच समायोजन क्षमता का) तथा इसका अब और विस्तार संभव नहीं है तथा न ही इसकी आवश्यकता है। ट्रेन परिचालनात्मक आवश्यकताओं के दृष्टिगत महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन को प्लेटफार्म सं. 1 से चलाया जाना अभी संभव नहीं है।
11-9	गया स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 01 पर उच्च श्रेणी का रिटायरिंग रूम बनवाया जाए ।	गया स्टेशन के प्रथम तल पर वातानुकूलित/गैर वातानुकूलित रिटायरिंग रूम (02 वातानुकूलित रिटायरिंग रूम तथा 05 गैरवातानुकूलित रिटायरिंग रूम) प्रदत है। 12बेड के वातानुकूलित डोरमिटरी की सुविधा निर्माणधीन है।
11-10	गया स्टेशन पर स्थित फुट ओभर ब्रिज को चौड़ा किया जाए ।	गया स्टेशन पर चौड़े फुट ओभर ब्रिज के निमार्ण का कार्य स्वीकृत है एंव निविदा का आवंटन हो चुका है। कार्य शीघ्र आरंभ होने वाला है।
11-11	गया स्टेशन से गुमटी नं0 01 तक के सड़क पर रेलवे परिसर में सोलर लाईट की व्यवस्था की जाए । इस सड़क की मरम्मत की जाए एवं वृक्षारोपण करके मार्ग को सुंदर बनाया जाए ।	सड़क मरम्मत के लिए निविदा मांगी गई है। निविदा के आधार पर कार्य आरंभ किया जायेगा। गया स्टेशन से गुमटी नं0 एक सडक पर बीएसईबी पावर सप्लाई द्वारा लाईट उपलब्ध है इसके अतिरिक्त एक हाईमास्ट टावर भी लगा दिया गया है। इस हाई मास्ट टावर का प्रकाश गया स्टेशन से गुमटी नं0 एक तक पर्याप्त है। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था प्रदत्त हैं समय समय पर संडक की सामान्य मरम्मत एवं इसका उचित रख रखाव किया जाता है।
11-12	गया स्टेशन से गुमटी नं. 01 सड़क पर कई जगह लीज पर जगह दी गयी है इनको खाली कराकर इस जगह का वाणिज्यिक उपयोग किया जाना चाहिए । यहॉ पर यात्री निवास भी बनाया जा सकता है ।	इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं है ।
11-13	गया से मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे, बंगलोर, सिकंदराबाद इत्यादि प्रमुख	कार्य के निविदा का आवंटन हो चुका है एवं कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

	शहरों के लिए गाड़ियाँ शुरू करने हेतु यथाशीघ्र दूसरी पीट लाईन बनवायी जाए ।	गया स्टेशन पर 24/26 कोच क्षमता का एक नया कोचिंग पिट लाईन/वाशिंग पिट प्रदत्त करने हेतु योजना मद 42 के तहत पी.डब्ल्यू.पी. 2007–08 के स्वीकृत कार्य (2nd Pit line for 24 Coach Length with integrated sick line at Gaya) के संबंध में Letter of Acceptance(LOA) दिनांक 12.2.2011 को जारी किया जा चुका है।
11-14	महाबोधी एक्सप्रेस में इलाहाबाद को आवंटित 2 स्लीपर कोच का एवं 3 एसी के 10 बर्थ के कोटा को समाप्त कर इसे गया से ही बुक करने की व्यवस्था की जाए । दो जी.एस. कोच हटा कर एक स्लीपर एवं एक 3 एसी कोच जोड़ा हटा कर एक स्लीपर एवं एक 3 ए.सी. कोच जोड़ा जाए ।	वर्तमान में इलाहाबाद और कानपुर लोकेशन के लिए एक स्लीपर कोच और 3 एसी में 12 बर्थ आवंटित है । इस ट्रेन के प्रोफाइल अध्ययन के द्वारा पता चलता है कि इलाहाबाद कोटे की उपयोगिता शतप्रतिशत है । अतः इस कोटा को हटा लेने से इलाहाबाद से भी जन शिकायत मिल सकती है । बोर्ड की पॉलिसी अनुसार लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम 05 जीएस कोच होना चाहिए । अतः जीएस कोच के बदले स्लीपर कोच या एसी कोच लगाने का औचित्य नहीं बनता है ।
11-15	गया से राजधानी एक्सप्रेस सहित विभिन्न गाड़ियों में कोटा बढ़ाया जाना चाहिए । अभी 9306, 2175, 2308 इत्यादि गाड़ियों में गया कोटा अन्य स्टेशनों के साथ सम्मिलित है । गया कोटा अलग से दिया जाए ।	गया को विभिन्न गाड़ियों अप एवं डाउन में कुल 2431 बर्थ का पर्याप्त आरक्षण कोटा (General) प्रदत्त है । गया स्टेशन पर 05 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्रदत्त है । जिनमें गया को वर्तमान में कुल 159 बर्थ का सामान्य आरक्षण कोटा प्रदत्त है 1एसीः 06, 2एसीः 52, 3एसीः 101 । विगत 6 माह के दौरान गया में किसी भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की आरक्षण कोटा की उपयोगिता का प्रतिशत 100ः नहीं रहा है ।
11-16	2312 गाड़ी में हाबड़ा जाने हेतु जाने वाले दिन की बुकिंग गया से नहीं होती है । बताया जाता है कि चार्ट बन गया है । इस व्यवस्था को बदल कर इस गाड़ी में गया से बुकिंग करें ।	ट्रेन सं. 2312 डा. कालका–दिल्ली–हावड़ा मेल के लिये गया रिमोट लोकेशन नहीं है। इस ट्रेन के रिमोट लोकेशन ईलाहाबाद द्वारा चार्ट तैयार कर लेने के बाद तथा ईलाहाबाद के बाद इस ट्रेन के रिमोट लोकेशन मुगलसराय द्वारा चार्ट तैयार नहीं होने पर भी पी.आर.एस./गया द्वारा टिकट निर्गत नहीं हो पाता था । इस समस्या के निराकरण हेतु उत्तर रेल/नई दिल्ली को समस्या की जानकारी दी गयी । उप– मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/डाटाबेस/उत्तर रेल के पत्र सं.-85/CCM/IT/2312/2010., दिनांक 21.4.2010 द्वारा सूचित किया गया है कि पी.आर.एस. प्रणाली जनित इस समस्या को दूर कर लिया गया है तथा अब सामान्य रूप से टिकट निर्गत हो रहे हैं । इसकी पुष्टि पी.आर.एस./गया द्वारा कर दी गयी है ।
11-17	3010 देहरादून–हाबड़ा एक्सप्रेस में 02 कोच गया–हाबड़ा सेवा वितग 25 सालों	ट्रेन सं. 3010 डा. में गया कोच (S-8 , S-9) मुगलसराय से जोड़ा जाता है । मुगलसराय में

	से उपलब्ध है । अब इसे हटाकर यह सुविधा मुगलसराय को दिया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए इसे यथावत रखा जाए ।	इस ट्रेन में कोई आरक्षण कोटा प्रदत्त नहीं था इस ट्रेन में गया को प्रदत्त 3एसी में 04 बर्थ एवं स्लीपर में 125 बर्थ के आरक्षण कोटे को पी.आर. एस. मुख्यालय द्वारा युक्तिसंगत करते हुए मुगलसराय को दिनांक 18.8.2010 से 3एसी में 02 बर्थ एवं स्लीपर में 91 बर्थ तथ गया को 3एसी में 02 बर्थ एवं स्लीपर में 38 बर्थ प्रदान किया गया है एवं इसे मुगलसराय एवं गया दोनो के लिये सुलभ बनाया गया है । इससे दोनो क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिलेगा ।
11-18	महाबोधी एक्सप्रेस को समय पर चलाया जाए । इस गाड़ी को परिचालन में प्रमुखता दी जाए क्योंकि इसको संट करके अन्य गाड़ियों का आगे बढ़ा दिया जाता है ।	इस संबंध में मंडल को आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है।मंडल रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों की समय–बद्वता का ध्यान रखा जाता है एवं ट्रेनें समय पर परिचालित होती है। गैर–रेलवे कारणों की बजह से ट्रेनों की रास्ते में होने वाली समय–बद्वता में हानि का निदान उन कारणों की रोक थाम से ही संभव है। विदित हो कि हाल के दिनों में अनेक राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक दलों/संगठनों द्वारा आये दिन झारखंड एवं अन्य ग्रैंड कॉर्ड लाईन के क्षेत्रों में बंद आहुत किये जाते रहे है जिसमें रेल परिचालन व्यापक रूप से प्रभावित होते रहे है।प्रकृति जन्य कारण यथा कुहासे की वजह से भी समय–बद्वता में हानि हुई हैं वर्तमान में इस ट्रेन का परिचालन समयबद्व एवं सामान्य है।
12-0	**श्री सुबोध कुमार जैन**	----------
12-1	सेटेलाईट बेस्ड ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम को शीघ्र पूर्व मध्य रेल में लागू किया जाए ।	कार्य हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा ।
12-2	चेन पुलिंग एक बड़ी समस्या है । मेरा सुझाव है कि ज्यों ही गाड़ी रोकी जाए, आरपीएफ, एवं सुरक्षा बल के जवान गाड़ी के दोनों तरफ निकलकर कुछ–कुछ दूरी पर ख़ड़े हो जाएँ एवं उतरने वालों को पकड़कर उचित कार्रवाई करें तो इसका काफी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ।	चेन पुलिंग घटनाओं की रोक थाम के लिए सभी मंडलों के चिन्हित गाडियों में उपलब्ध रे0सु0ब0/रे0सु0वि0बल के कर्मचारियों को डियुटी पर तैनात किया जाता है और दोषी व्यक्ति पकडे जाने पर रेलवे एक्ट के तहत् कानूनी कार्यवाही की जाती है।
12-3	गाड़ियों की संख्या जैसे पहला संख्या क्या इंगित करता है और दूसरा संख्या क्या इंगित करता है इसकी जानकारी दी जाए । साथ ही 139 के साथ कोई अंक जूटकर क्या नया इन्क्वायरी नंबर आने वाला है ? एवं 139 के जो चार्जेज हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए ।	विभिन्न क्षेत्रों से नयी ट्रेनों के लिए किये जाने वाले मांग की पूर्ति में चार अंक वाले ट्रेन नम्बर से असुविध हो रही थी । अतः सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के नम्बर के आरंभ में 1 लगाकर नयी व्यवस्था चालू की गयी है । 139 डायल करने पर लोकल कॉल का चार्ज लिया जाता है ।
12-4	अनारक्षित सामान्य टिकट भी ई–टिकटिंग एवं अधिकृत ट्रेवल–एजेन्ट के माध्यम से बिक्री करने की व्यवस्था	यह एक नीतिगत मामला है जिसपर निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया जा सकता है ।

	एवं अनुमति प्रदान की जाए ।	
12-5	सभी प्रमुख स्टेशनों पर पे एंड यूज प्रणाली के तहत यात्री सुविधाएँ यथा पेयजल, साफ–सफाई एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की जाए ।	पूर्व मध्य रेल के 55 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पे एण्ड यूज शौचालयों की सुविधा प्रदान की गयी है, 11 स्टेशनों पर मेकेनाइज्ड क्लीनिंग की सुविधा प्रदान की गयी है, 75 स्टेशनों पर रैग पिकिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । सभी स्टेशनों पर शुद्व पेय जल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।
12-6	जाड़े के मौसम में कुहासा एवं धुंध के लिए विशेष व्यवस्था पुनः सुनिश्चित किया जाए ताकि गाड़ी विलंब न हो सके ।	धुंध मौसम में गाड़ियों के परिचालन के लिए सामान्य एवं सहायक नियमों का पालन किया गया।
12-7	गाड़ियों में खान–पान के लिए हैंड बिलिंग मशीन की व्यवस्था एक स्वागत योग्य कदम है । पुनः आग्रह है कि मेनू/रेट चार्ट भी सभी बोगियों में प्रमुखता से दर्शायी जाए एवं फूड पैकेट पर प्राइस स्टीकर भी लगायी जाए ।	इसे लागू करने की व्यवस्था की जा रही है।
12-8	दानापुर डिविजन में गाड़ियों के परिचालन पर ध्यान दिया जाए क्योंकि गाड़ियों इस डिविजन में असाधारण रूप से विलंब से चला करती है ।	दानापुर मंडल में विगत कुछ दिनों में परिचालन में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाये गये है जिससे समय पालन में गुणात्मक सुधार हुआ है।
12-9	विभिन्न स्टेशनों के फुड प्लाजा का संपर्क नम्बर आईआरसीटीसी के बेबसाईट एवं स्टेशनों पर प्रमुखता से दर्शायी जाए ताकि यात्रियों को खान–पान सुविधा सुगम रूप से उपलब्ध हो ।	यह मामला IRCTC से संबंधित है ।
12-10	पटना जं0 एवं दानापुर के बीच में सचिवालय हाल्ट को विकसित किया जाए ।	सचिवालय हाल्ट को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित माप–दण्ड के तहत विकसित किया गया है।
12-11	पारसनाथ स्टेशन पर 2365/66 पटना–रॉची जनशताब्दी दैनिक गाड़ी सहित सभी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव दिया जाए ।	प्रस्ताव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है।पारसनाथ जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है पारसनाथ से पटना के लिए वर्तमान में तीन ट्रेनें उपलब्ध हैं।
12-12	पटना जं0 का एनाउन्समेंट सिस्टम दोषपूर्ण है । इसमें आवश्यक सुधार किया जाए ताकि सूचनाएँ साफ–साफ प्रसारित हों ।	पटना जं. का उद्घोषणा प्रणाली ठीक ढंग से कार्य कर रहा है ।समय–समय पर त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवायी की जाती है।
12-13	रूट रिले इंटरलॉकिंग के इन्सटॉलमेंट का कार्य पटना जं0 पर यथाशीघ्र पूरा किया जाए ।	कार्य प्रगति पर है । जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा ।
12-14	पटना जंक्शन के आरक्षण काउंटर पर स्लेव डिस्प्ले ठीक से कार्यरत रहे इसे सुनिश्चित किया जाए ।	पटना जं. के आरक्षण काउंटर का स्लेवडिस्पले बदलने हेतु प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति ली जाएगी तथा कार्य पूर्ण किया जायेगा।

12-15	दानापुर में उत्पादित रेल नीर के उत्पादन में जो व्यवधान आया था उसे यथाशीघ्र दूर किया जाए ।	यह आईआरसीटीसी से संबंधित है।
12-16	पटना जं0 का रख–रखाव एवं सफाई व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। काफी गंदगी फैला रहता है । इसके लिए आवश्यक सुधार किया जाए ।	पटना जं0 की सफाई के लिए दो संवेदकों को वहाल किया गया है। व.मं.चि.धि./दानापुर एवं मु0 स्वा0 निरीक्षक को उचित निर्देश जारी किया गया है।
12-17	दानापुर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों की रंगाई–पुताई की व्यवस्था की जाए ।	दानापुर के सभी प्रमुख स्टेशनों की रंगाई पोताई की व्यवस्था की गई है।
13-0	**मनीष कुमार**	----------
13-1	डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर ए.सी. विश्रामालय की व्यवस्था की जाए ।	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन के विकास का कार्य प्रस्ताव योजना शीर्ष 53/पी.डब्ल्यू.पी 2011–12 के अर्न्तगत मख्यालय प्रस्तावित है जिसके कार्यवृत्त में ए.सी.रिटायरींग रूम का कार्य शामिल है।
13-2	रेलवे हॉस्पीटल डेहरी–ऑन–सोन में स्थायी चिकित्सक की व्यवस्था की जाए एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए साथ ही हॉस्पीटल में घायल एवं बीमार यात्रियों हेतु अत्याधुनिक इंडोर भर्ती कक्ष की व्यवस्था मुहैया करायी जाए ।	वर्तमान में डॉ0 ए0आर0 यादव/CMP सोननगर द्वारा डेहरी –ऑन–सोन स्वा0 केन्द्र का कार्य देख रहे है। डेहरी–ऑन–सोन एवं सोननगर स्वा0 केन्द्रों को मिलाकर एक Poly Clinic स्थापना हेतु संचिका प्रक्रियाधीन है।एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
13-3	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन चूँकि ए श्रेणी का है इसलिए इस स्टेशन पर यात्री शेड को लम्बा किया जाए एवं प्लेटफार्म को भी लम्बा किया जाए ।	डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन पर प्लेटफार्म की लम्बाई समुचित है तथा शेड के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।डेहरी ऑन सोन के प्लेटफार्म नं. 2/3 एवं 4/5 पर अतिरिक्त यात्री शेड प्रदत्त कराने का कार्य प्रस्ताव 53 के कार्य योजना पी डब्ल्यू पी 2011–12 के अन्तर्गत प्रकियाधीन है।
13-4	डेहरी ऑन सोन के प्लेटफार्म संख्या 01 को उँचा किया जाए ।	इस कार्य को वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित किया जायेगा।इस कार्य को योजना शीर्ष 53/लॉ बुक 2009–10 के अन्तर्गत मुख्यालय प्रस्तावित किया गया था जो कि मुख्यालय द्वारा स्वीकृति नहीं हो सका। अगली कार्य योजना में इसे प्रस्तावित करने हेतु विचार किया जाएगा।
13-5	आरा–सासाराम रेलपथ के सभी स्टेशनों पर पेयजल/शौचालय एवं प्रतीक्षालय सहित यात्री शेड की व्यवस्था की जाए ।	आरा–सासाराम रेल पथ के सभी चार स्टेशनों पर मानक के अनुसार निर्धरित न्यूनतम यात्री सुविधाएँ प्रदान की गयी है इन कार्यो का प्रस्ताव वर्ष 10–11 में फंड की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदित नहीं हो सका था इसे पुनः वर्ष 12–13 में प्रस्तावित किया जायेगा। आरा–सासाराम रेल पथ के सभी चार स्टेशनों पर मानक के अनुसार निर्धारित न्यूनतम यात्री सुविधाएँ प्रदत्त है। इस रेल खंड पर अवस्थित 18 हाल्ट स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु मंडल द्वारा मुख्यालय को कार्य–प्रस्ताब Plan Head 53 के कार्य योजना पी डब्ल्यू पी 2010–11 के अन्तर्गत तथा पुनः पीडब्ल्यूपी

		2011–12 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया जो कि मुख्यालय द्वारा दोनों ही बार रेलवे बोर्ड भेजे जाने हेतु अनुमोदित नहीं हो सका।
13-6	आरा–सासाराम रेलपथ के सभी स्टेशनों पर रात्रिकालीन प्रकाश की व्यवस्था की जाए ।	आरा – सासाराम सेक्शन के सभी स्टेशनों पर बीएसईबी पावर सप्लाई उपलब्ध है। इस स्टेशन पर ट्रेन का परिचालन प्रायः अन्धेरा होने से पहले समाप्त हो जाता है।इस रेल खंड के अन्तर्गत स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था प्रदत्त कराने का मंडल विद्युत विभाग(सामान्य) के कार्य प्रस्ताव का सार प्राक्कलन विधिक्षाधीन है।
13-7	सासाराम में पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए ।	रेलवे बोर्ड को ठहराव हेतु लिखा गया है लेकिन अनुमोदन नहीं हुआ।
13-8	चंबल एक्सप्रेस 2175–2176 हाबड़ा से ग्वालियर / 2177–2178 हाबड़ा से मथुरा का ठहराव डेहरी–ऑन–सोन में किया जाए ।	डेहरी ऑन सोन में ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को लिखा गया है।
13-9	गया–मुगलसराय 707/710 पैसेंजर एवं गाड़ी संख्या 127/128 बी.डी. पैसेन्जर ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़ के कारण बोगियों की संख्या बढ़ायी जाए ।	कथित ट्रेन का प्राईमरी अनुरक्षण हेतु गोमो में वाशिंग पिट का क्षमता 10 कोच का है और कथित ट्रेन 10 कोच चल रहा है। अतः वर्तमान परिस्थिति में यह संभव प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में यात्री कोच का काफी अभाव है, इसकी मांग रेलवे बोर्ड से की गई है। उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है।
14-0	**श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह**	----------
14-1	521 का मुजफ्फरपुर में जो समय का परिवर्तन कर दिया गया है उसे पूर्व की भॉति किया जाए ।	नवम्बर/09 के समय–सारणी में गाड़ी सं. 521 का मुजपफ्पफरपुर में 17.10 में आगमन एवं 17.20 में प्रस्थान था । जुलाई/10 के समय–सारणी में 17.25 आगमन एवं 17.35 में प्रस्थान किया गया है, जो मात्रा 15 मिनट का अंतर है । इसमें परिवर्तन संभव नहीं है । इस खंड के यात्रियों का सुविधा देने हेतु यह परिवर्तन किया गया है।
14-2	दैनिक यात्रियों के पास के संबध में पहले जो नियम था कि एक जगह से ही पास बन जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है इसे पूर्व की भॉति किया जाए।	यूटीएस काउन्टर से दैनिक यात्रियों को सुविधा हेतु एमएसटी जारी करने का प्रावधान है।
14-3	भगवानपुर स्टेशन केवल एक ही चापाकल है इसलिए ,वहॉ पर और चापाकल लगाया जाए ।	भगवानपुर स्टेशन पर 02 चापाकल उपलब्ध है।
14-4	भगवानपुर स्टेशन के दूसरे प्लेटफार्म पर शेड बनाया जाए ।	भगवानपुर में शेड लगाने का कार्य स्वीकृत है। प्राक्कलन विधिक्षण की प्रकिया में है।
14-5	पैसेन्जर गाड़ियों में डिब्बा बढ़ाया जाए ।	वर्तमान में यात्री कोच की काफी कमी है, इस की मांग रेलवे बोर्ड से की गई है। उपलब्ध होने पर विचार किया जायगा।
15-0	**श्री गोविन्द प्रसाद केजरीवाल**	----------

15-1	पिछली बैठक में उठाये गये बिन्दुओं का जवाब इस बैठक से पहले दिया जाना चाहिए ।	बैठक के समय का अन्तराल कम होने के कारण सभी उठाये गये मुद्दों/सुझावों का समुचित जवाब कार्यवाई के बाद देना उचित प्रतित होता है। त्वरित कार्यवाई की कोशिश की जाती है।
15-2	मुजफ्फरपुर जेटीएस में पीआरएस में बहुत भीड़ रहती है इसलिए वहॉ पर एक और काउन्टर खोला जाए तथा वहॉ पर यूटीएस काउन्टर भी खोला जाए जिससे स्टेशनों पर भीड़ कम हो जाए ।	मुजफ्फरपुर स्टेशन भवन में 6 पीआरएस काउन्टर के अलावे प्रशिक्षण एवं यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से जेडआरटीएस में 1 काउन्टर का प्रावधान किया गया है। यदि जेडआरटीएस के काउन्टर पर भीड़ होती है तो स्टेशन से सुविधापूर्वक टिकट प्राप्त कर सकते है।
15-3	टिकट के लिए कूपन सिस्टम किया जा सकता है तो किया जाए।	यह एक नीतिगत मामला है जिसपर उपयुक्त स्तर पर विचार किया जायेगा।
15-4	मुजफ्फरपुर पूछताछ काउन्टर पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं इसकी जानकारी दी जाए ।	मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पूर्व में फेस टु फेस 1 पूछताछ काउन्टर था, पूछताछ की बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 2 विडियों कान्फेसिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके अलावे तीन दूरभाष हेतु टेलीफोन की सुविधा है। 139 पर भी अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
15-5	भागलपुर इंटरसिटी के संबंध में पूर्व रेलवे से कॉडिनेट करके पिछली बैठक में उठाये गये मेरे बिन्दुओं पर काम हो सकता है ।	पूर्व रेलवे से सम्पर्क किया जा रहा है।
15-6	राजधानी एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर से कोटा बढ़ाया जाए क्योंकि मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए यही एक राजधानी एक्सप्रेस है ।	कम्प्युटरीकृत आरक्षण प्रणाली में पहले आओ पहले पाओ पर कोटा आधरित है । राजधनी एक्सप्रेस लंबी दूरी की ट्रेन है जिसमें कोटा का बढ़ाना संभव नहीं है ।
16-0	**विनय कुमार**	----------
16-1	सिंगरौली से चलने वाली लिंक एक्सप्रेस में केवल पॉच डब्बे हैं इसमें कम से कम एक एसी थ्री टायर और दो शयनयान श्रेणी के डिब्बे लगाये जाएँ ।	वर्तमान में ट्रेन सं0 3347/3348 पलामू लिंक एक्सप्रेस5 कोच (02 सामान्य श्रेणी, 01 एल.एल. आर. 01 थ्री टीयर वातानुकूलित एवं 01शयनयान श्रेणी से चलती है जिसके लिए सिंगरौली वाशिंग पिट पर प्राईमरी अनुरक्षण हेतु मात्र 4.0 घंटे समय निर्धारित है। इसके अतिरिक्त शयनयान श्रेणी के 02 कोच लगाए जाने पर प्राईमरी अनुरक्षण हेतु 6.0 घंटे समय निर्धारण किए जाने पर परिचालन प्रारम्भ कराया जा सकता है। उक्त के लिए अतिरिक्त रेक की आवश्यकता होगी। लिंक एक्सप्रेस प्रायोगिक तौर पर एक थ्री एसी शयनयान लगाया गया है। बुकिंग होने पर इसे बढ़ाया जायगा।
16-2	रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के परियोजना द्वारा 40 हजार टन कोयला ढोया जाता है । लेकिन इसके लिए रेलवे द्वारा केवल रेक दिया जाता है लोको नहीं देते हैं लोको हमलोग देते हैं यह मामला हमलोगों के ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है ।	नियमानुसार लोको एनटीपीसी के साइडिंग में रेक को उपलब्ध करता है।

	गया है वहाँ पर भी ओभर ब्रिज बनाया जाए ।	में मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य इन्जीनियर के साथ विचार किया जा सकता है।
17-3	जिस दिन अधिकारियों का निरीक्षाण होता है उस दिन तो स्टेशनों पर साफ–सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता लेकिन फिर वही नारकीय स्थिति हो जाती है । इस ओर ध्यान दिया जाए ।	स्टेशनों की सफाई–व्यवस्था का समुचित ध्यान रखा जाता है एवं संबंधित कर्मचारियों को उचित निर्देश दिए गए है। मंडल के स्टेशनों पर साफ–सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। स्टेशनों पर साफ–सफाई हेतु बोर्ड की नीति के अनुसार निजी संवेदक एवं कहीं–कहीं पर सफाई वाले के द्वारा सफाई की व्यवस्था की गयी है।
18-0	**श्री कादिर हुसैन**	--------
18-1	धनबाद से बंगलौर के लिए एक गाड़ी दी जाए ।	विगत अन्तर रेलवे समय सारणी सम्मेलन में इस रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था लेकिन इसे स्वीकृत नहीं किया गया।
18-2	धनबाद से हैदराबाद/सिकंदराबाद के लिए एक गाड़ी दी जाए ।	विगत अन्तर रेलवे समय सारणी सम्मेलन में इस रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था लेकिन इसे स्वीकृत नहीं किया गया।
18-3	धनबाद से नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट एक गाड़ी दी जाए ।	विगत अन्तर रेलवे समय सारणी सम्मेलन में इस रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था लेकिन इसे स्वीकृत नहीं किया गया।
18-4	धनबाद से मुम्बई के लिए एक गाड़ी दी जाए ।	विगत अन्तर रेलवे समय सारणी सम्मेलन में इस रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था लेकिन इसे स्वीकृत नहीं किया गया।
18-5	गोमो में फ्लाई ओभर ब्रिज होना चाहिए इसलिए इसे बनाया जाए।	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मंडल द्वारा मुख्यालय भेजा जा रहा है।
18-6	धनबाद से बरकाकाना के लिए एक इंटरसिटी चलाया जाए ।	इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड के समक्ष लाया जायेगा।
18-7	धनबाद मंडल कार्यालय के मंडल रेल प्रबंधक से मिलने जाते है तो वे मिलने का समय नहीं दे पाते हैं फिर इस कमिटि का क्या मतलब है । इसके लिए उचित निर्देश दिया जाए ।	मंडल रेल प्रबंधक महोदय से मिलने का समय निर्धारित है इस समय पर कोई भी व्यक्ति महोदय से मिल सकते हैं।
18-8	पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में गोमो से कम से कम एक बोगी लगाया जाए ।	यह गाड़ी अपने रेक बिन्यास के अनुसार पूर्ण क्षमता से चलती है। अतिरिक्त कोच लगाना संभव नहीं है। गोमो से पुरषोत्तम एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी लगाना परिचालन के दृष्टिकोण से औचित्य नहीं है।
18-9	निचितपुर हॉल्ट को स्टेशन के रूप में अपग्रेड किया जाए ।	टिकट बिक्री के अनुसार निचितपुर को हॉल्ट का दर्जा दिया गया है इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता है।

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रस्तावित उप–विधि

1.0 प्रस्तावना :

1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी. कहा जाएगा) साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मंडल मुख्यालयों में पाँच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई है।

1.2 क्षे.रे.उ.प.स. का उद्देश्य : जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री–सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना, और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

2.0 समिति का गठन :

2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :–

2.1.1 (क) केवल 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा) नामित किए जाएंगे।

(ख) जेड.आर.यू.सी.सी. में प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में स्थित हो प्रतिनिधित्व हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।

2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।

2.1.4 प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।

2.1.5 राज्य सरकार अथवा सरकारी कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं है।

2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एक या दो पंजिकृत यात्री संगठनों का एक प्रतिनिधि।

2.1.7 "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।

2.1.8 माननीय रेल मंत्री द्वारा "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में नामित आठ सदस्य।

2.1.9 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण स्वैच्छिक संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालन्टरी आरगेनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।

2.1.10 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।

2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुड़े मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिकी ठेकेदारों आउट एजेन्सी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रैवलिंग एजेंसियॉ अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन–प्रतिदिन के काम में घनिष्ट और सीधे जुडे हैं, जैसे फारवडिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामशदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।

2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।

2.3 पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे – 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश

2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होगें तथा उप महाप्रबधंक (सा.), पूर्व मध्य रेलवे समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्त्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघो से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बर्स तथा/या संघो और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात उक्त संगठनो को उनका/उनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों/संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।

2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.7 सदस्यों का वर्गीकरण

2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपकमों तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि "सरकारी सदस्यों" की कोटि में आएंगें।

2.7.2 गैर सरकारी सदस्य : उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजन के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है :–

3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।

3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।

3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।

3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।

3.1.5 सामान्य लोकहित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।

3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।

3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन. आर. यू. सी. सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।

3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।

3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

4.0 समिति की बैठक :

4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएगी।

4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हों, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से विचार–विमर्श किया जा सकता है।

4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित क़ोरम नहीं है।

5.0 चुनाव :

5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।

5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक–एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।

5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर–सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड़ा होंगे।

5.2.1 केवल गैर–सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।

5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे. उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे।

5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है।

5.2.4 प्रकिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।

5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षे.र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।

5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतू अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेगें।

5.4!1 मतदान का परिणाम अनिर्णित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

6.0 <u>परिचय पत्र</u> :

6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टांम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए।

6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षे.रे.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए। रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डुपलीकेट अंकित होगा।

6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

7.0 <u>परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर)</u> :–

7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर–सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं।

7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी।

7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। स्थगन के निर्णय पर विचार–विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए।

8.0 बैठक के अन्य सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :

8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक–स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटारिंग रूमो/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।

8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटायरिंग कक्षों/होटलों में ठहरने के दौरान खान–पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं।

8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक–स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।

9.0 यातायात सुविधाएँ :

9.1 गैर–सरकारी सदस्यों के लिए :

9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर–सरकारी सदस्यों को अपने गृह–स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक–स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/।। वातानुकूलित दर्जे (राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर) के पास जारी किये जाएँगे।

9.1.2 प्रथम श्रेणी/।। वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचायक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी।

9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाड़े का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड़कर)।

9.1.4 पहले से विद्यमान पास–नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल–हेड से जुड़े हो, विमान यात्रा अनुमेय नहीं है। उन स्थानों के लिए जो रेल–हेड से जुड़े न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल–हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल–हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल–हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है।

9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल–हेड से नहीं जुड़ा हो और निकटतम रेल–हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा सकता हो तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो।

9.1.7 रेलवे स्थापना (इस्टेबिलिशमेंट) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा।

9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक–स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं।

9.3 राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए :

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।

9.4 संसद सदस्यों के लिए :

9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड–सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी। वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं। फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा–कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य–निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा–प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हों, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं।

9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहचान कार्ड–सह–रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड–सह–रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो।

9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

9.5 परिचर की परिभाषा :

9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो। इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा – बेयरा, खनसामॉ (बटलर), रसोइया, आया इत्यादि। लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है।

9.6 सामान्य यात्रा सुविधाएँ :

9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को 'अस्थायी' निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो।

9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो।

10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

10.1 गैर–सरकारी सदस्यगण :

10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत क्रम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान प्रतिदिन रू0 120/– की दर से दैनिक भत्ता तथा रू0 50/– प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। पाकेट भत्ता में से रू0 50/– उस दिन या उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिस दिन के लिए रू0 120/– के रूप में दैनिक भत्ता देय है।

10.1.2 यदि निकटतम रेलवे स्टेशन से निवास स्थान की दूरी 8 किमी. से अधिक है, तो प्रति किमी. 4/– (चार रूप्ये) अधिकतम के हिसाब से निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक पाकेट खर्च के रूप में दिया जायेगा।

10.1.3 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के स्थानीय गैर–सरकारी सदस्य "ए" एवं "बी" श्रेणी के शहर के लिए वास्तविक वाहन किरांया प्रभार अथवा 100/– रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, एवं अन्य "सी" श्रेणी के शहरों के लिए वास्तविक वाहन प्रभार अथवा 75/– रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

10.2 सरकारी सदस्य :

10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य पैरा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वर्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3. विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा

10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं।

10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार है।

(ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाड़े के 1¼ के बराबर धनराशि।

(बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो।

(I) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार रहित) 1–3/5 के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा विद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो।

(II) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 8 रू. (आठ रूपये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज (सड़क मील भत्ता)

(III) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम रू. 120/– (एक सौ बीस रूपये मात्र) भुगतान किया जाएगा।

10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा के समतुल्य राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी। इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।"

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

10.4.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहाँ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्तविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।

10.4.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं।

10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ अथवा बैठक आयोजित होनी है अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहाँ से बैठक में जाने और वहाँ से वापसी यात्रा की जाए।

11.0 <u>अनुपालन के लिए मार्गदर्शन</u> :

11.1 अधिसूचित गैर–सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्टैट्स, क्रेस्ट्स, बैजें, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

12.0 <u>सदस्यता का निरस्तीकरण</u> :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी।

12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी।

13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति।

13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड.आर.यू.सी.सी. समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

* * * * *

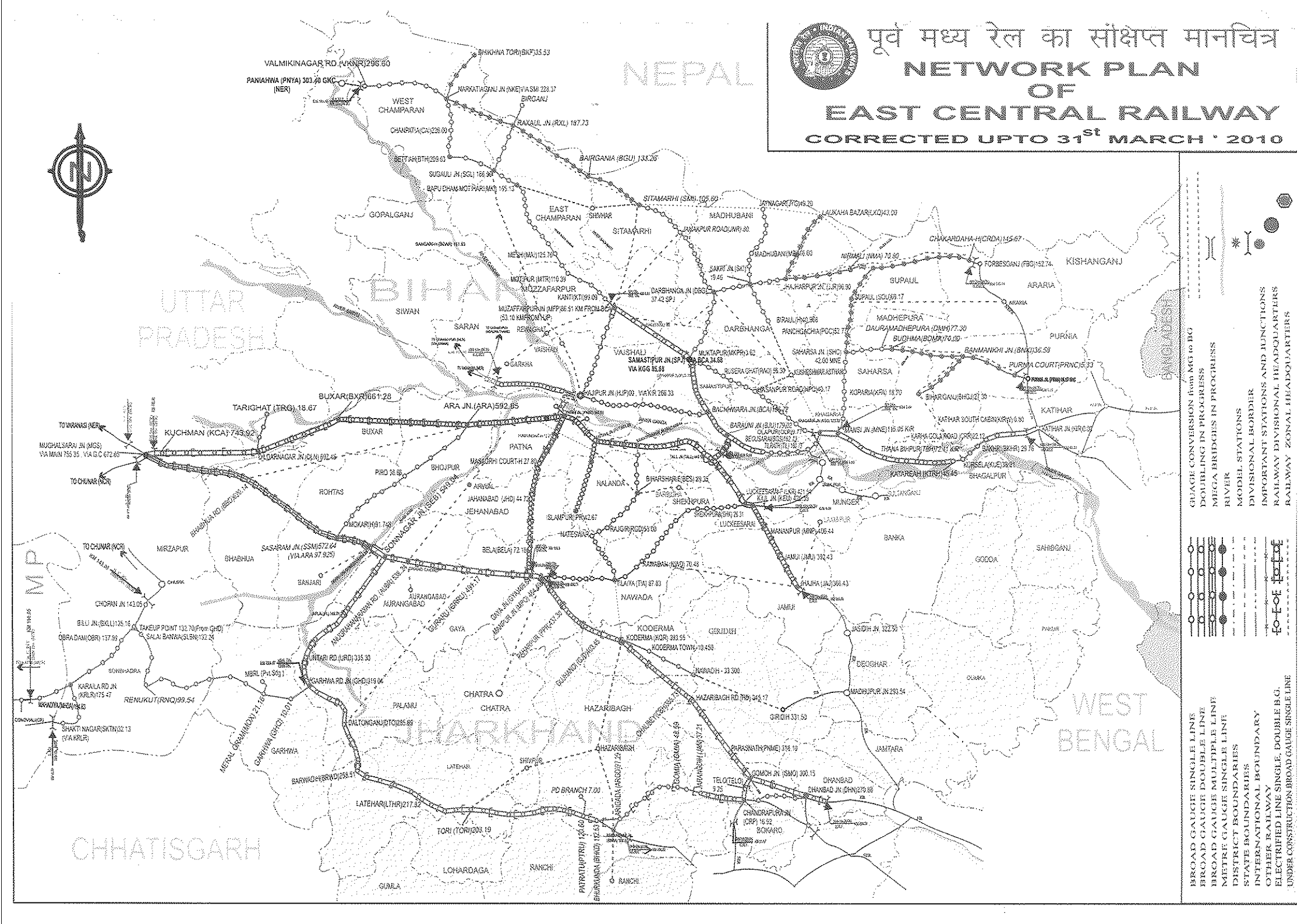
पूर्व मध्य रेल का संक्षिप्त मानचित्र
NETWORK PLAN
OF
EAST CENTRAL RAILWAY
CORRECTED UPTO 31st MARCH ' 2010
NEPAL
BIHAR
UTTAR PRADESH
JHARKHAND
WEST BENGAL
M.P.
CHHATISGARH
ODISHA
VALMIKINAGAR RD.(VKNR)296.60
PANIAHWA (PNYA) 303.40 GKC (NER)
BHIKHNA TORI(BKF)335.53
NARKATIAGANJ JN.(NKE)VIA SMI 228.37
BIRGANJ
WEST CHAMPARAN
RAXAUL JN.(RXL) 187.73
CHANPATIA(CN)226.00
BETIAH(BTH)209.63
SUGAULI JN.(SGL) 186.93
BAPU DHAM MOTIHARI(MK) 165.13
BAIRGANIA (BGU) 134.26
SITAMARHI (SMH) 105.60
SHIVHAR
EAST CHAMPARAN
GOPALGANJ
SITAMARHI
JAYNAGAR(JYN)4.26
LAUKAHA BAZAR(LKO)43.00
MADHUBANI
JAYNAGAR-JAINAGAR(JAG)
CHAKARDAHA-H(CRDA)145.67
MADHUBANI(MBI)16.60
10(RAIL) (RMA) 70.80
FORBESGANJ (FBG)152.74
KISHANGANJ
ARARIA
SUPAUL
SAKRI JN.(SKI) 19.46
JAINAGAR-MADHUBANI
JAINAGAR JN.(JJR)96.30
SUPAUL (SGU)69.17
MADHEPURA
BIRAUL(PNL)9.66
PANCHGACHHIA(PGC)52.77
DAURAMADHEPURA (DMH)77.30
BUDHMA(BDMM)70.80
PURNIA
BANMANKHI JN.(BNKI)36.58
PURNIA COURT(PRNC)5.33
KISHANGANJ(KNE)
MUZAFFARPUR JN.(MFP)86.51 KM FROM BG (93.10 KM FROM HJP)
MOTIPUR (MTR)119.99
MUZZAFARPUR
KANTI(KTI)99.09
DARBHANGA JN.(DBG) 37.42 SPJ
DARBHANGA
SIWAN
SARAN
REWAGHAT
VAISHALI
SAMASTIPUR JN.(SPJ) VIA KGG 85.88
MUKTAPUR(MKPR)3.62
BCA 34.68
SAHARSA JN.(SHC) 42.00 MNE
SAHARSA
KUSHESHWARASTHAN
BUSERA GHAT(PAO) 35.39
SAMASTIPUR
SAMASTIPUR BG(SPJ)45.17
KOPARIA(KPA) 18.70
BIHARIGANJ(BHGJ)27.39
KATIHAR
KATIHAR SOUTH CABIN(KIR)9.90
KATIHAR JN.(KIR)0.00
BARAUNI JN.(BJU)179.05
BEGUSARAI(BGSR)35.12
TARAIYA(TE) 166.72
MANSI JN.(MNE)16.05 KIR
BARHA COLLIERY ROAD (BRC)22.12
THANA BIHPUR(TBHP)72.41 KIR
BANKA(BKHR) 29.76
KURSELA(KUE)39.21
BHAGALPUR
KATARIAH (KTR) 1.45
SULTANGANJ
GARHA
GARKHA
BUXAR(BXR)661.28
TARIGHAT (TRG) 15.67
ARA JN.(ARA)592.85
TO VARANASI (NER)
KUCHMAN (KCA) 745.92
MUGHALSARAI JN (MGS) VIA MAIN 755.35 , VIA G.C 672.65
TO CHUNAR (NCR)
DILDARNAGAR JN.(DLN)692.45
BUXAR
PATNA
BHOJPUR
ROHTAS
PIRO 38.85
MASAURHI COURT-H 27.80
ARWAL
JAHANABAD (JHD) 44.72
JEHANABAD
NALANDA
BIHARSHARIF(BSS) 89.35
SHEIKHPURA
LUCKEESARAI (LKR) 51.10
KIUL JN.(KEU) 54.35
MUNGER
LAKHISARAI
SHEIKHPURA(SHK) 28.31
LUCKEESARAI
MOKAMEH(MKH) 7.60
SONNAGAR JN.(SEE) 54.04
SLANPUR(PRY)2.67
RAJGIR(RGD)53.00
HATESNARI
BELA(BELA) 72.16
JAMUI (JMU) 392.43
MANAIPUR (MNP) 406.44
BANKA
SAHIBGANJ
GODDA
SASARAM JN.(SSM)572.64 (VIA ARA 97.9.25)
MIRZAPUR
SHAHBUA
BANJARI
CHUNAR (NCR)
CHOPAN JN 143.05
CHUNAR
BALU JN.(BXLL)135.16
TAKEUP POINT 132.70(From GHD)
SALAI BANWAS(LBN)132.24
OBRA DAM(OBR) 137.99
SONBHADRA
KARAILA RD JN (KRLR)175.47
RENUKUT(RNQ)99.54
MANIARA(MNAR)19.80
SHAKTI NAGAR(SKTN)32.13 (VIA KRLR)
MBRL (Pvt.Stg.)
MERAL GHARHWA (GHC) 21.10
GARHWA RD JN.(GHD)319.04
GARHWA
DALTONGANJ(DTO)285.89
BARWADIH(BRW)258.51
LATEHAR(LTHR)217.82
TORI (TORI)208.19
LOHARDAGA
GUMLA
RANCHI
PATRATU(PTRU) 1.60
BHARNDA (BHND) 172.53
ARIGADA (ARG)297.24
CHANDRAPURA JN (CRP) 18.92
BOKARO
DHANBAD
DHANBAD JN (DHN)270.68
TELO(TELO) 9.25
GOMOH JN. (GMO) 300.15
PARASNATH(PNME) 318.19
GIRIDIH 331.50
MADHUPUR JN 291.54
DEOGHAR
JASIDIH JN. 322.50
JAMTARA
GODDA
PANJAB
KODERMA
KODERMA (KQR) 393.55
KODERMA TOWN(-19.450
NAWADIH - 33.300
HAZARIBAGH RD (RB) 345.17
HAZARIBAGH
CHATRA
PALAMU
GAYA
AURANGABAD
NAWADA
GOMIA
JAMUR
RAFIGANJ
RAHUA (JAJ)366.43
RAMNAGAR (RMG) 76.48
LALIYA (TIA) 97.83
GAYA-MUGHALSARAI JN.
JAMALPUR JN.(JMP) 464.40
PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN.(DDU)
ARJUNBANDHAWAN RD. JN.(ABH) 536.24
BUXAR-GAYA (BXR-GAYA)
DUMRAON-BUXAR (DMO-BXR)
BIHAR-JAN RD.(BSE)
BARAUNI-GHAZIPUR (BJU-GZP)
BARAUNI-GORAKHPUR (BJU-GKP)
BARAUNI-KATIHAR (BJU-KIR)
BARAUNI-KIUL (BJU-KEU)
BARAUNI-MUZAFFARPUR (BJU-MFP)
BARAUNI-NARKATIAGANJ (BJU-NKE)
BARAUNI-SAMASTIPUR (BJU-SPJ)
BARAUNI-SONPUR (BJU-SOPR)
BARAUNI-TARAIYA (BJU-TE)
BARAUNI-THANA BIHPUR (BJU-TBHP)
BARAUNI-VAISHALI (BJU-VKR)
BARAUNI-YARD (BJU-YARD)
BUXAR-DUMRAON (BXR-DMO)
DUMRAON-GAYA (DMO-GAYA)
GAYA-GOMOH (GAYA-GMO)
GAYA-MUGHALSARAI JN. (GAYA-MGS)
GOMOH-HAZARIBAGH (GMO-HRB)
HAZARIBAGH-PARASNATH (HRB-PNME)
JAINAGAR-JAYNAGAR (JAG-JJR)
KATIHAR-KISHANGANJ (KIR-KNE)
KATIHAR-SAHARSA (KIR-SHC)
KATIHAR-SAMASTIPUR (KIR-SPJ)
KATIHAR-THANA BIHPUR (KIR-TBHP)
KIUL-LAKHISARAI (KEU-LKR)
KIUL-MANIHARI (KEU-MNP)
KIUL-SHEIKHPURA (KEU-SHK)
KODERMA-GIRIDIH (KQR-GRD)
KODERMA-GOMOH (KQR-GMO)
KODERMA-NAWADIH (KQR-NWD)
MANSI-SAHARSA (MNE-SHC)
MUGHALSARAI-GAYA (MGS-GAYA)
MUGHALSARAI-PT.DDU (MGS-DDU)
NAWADIH-GOMIA (NWD-GOMA)
PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN.(DDU)
PD BRANCH 7.00
BROAD GAUGE SINGLE LINE
BROAD GAUGE DOUBLE LINE
BROAD GAUGE MULTIPLE LINE
METRE GAUGE SINGLE LINE
DISTRICT BOUNDARIES
STATE BOUNDARIES
INTERNATIONAL BOUNDARY
OTHER RAILWAY
ELECTRIFIED LINE SINGLE, DOUBLE B.G.
UNDER CONSTRUCTION BROAD GAUGE SINGLE LINE
GAUGE CONVERSION from MG to BG
DOUBLING IN PROGRESS
MEGA BRIDGES IN PROGRESS
RIVER
MODEL STATIONS
DIVISIONAL BORDER
IMPORTANT STATIONS AND JUNCTIONS
RAILWAY DIVISIONAL HEADQUARTERS
RAILWAY ZONAL HEADQUARTERS

शरद ऋतु